प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

संक्षिप्त मार्गदर्शिका

सशक्त सहकारिता; समृद्ध मध्यप्रदेश

अपेक्स बैंक

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित

तात्या टोपे नगर, भोपाल-462003

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मध्यप्रदेश शासन एवं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित

एक देश - एक फसल - एक दर

कृषक द्वारा देय प्रीमियम

- खरीफ फसलें - 2%
- रबी फसलें - 1.5%
- उद्यानिकी एवं व्यावसायिक फसलें - 5%

बीमित फसल

- खाद्यान फसलें
- तिलहन
- वार्षिक एवं व्यावसायिक फसलें
- राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलें

बीमा कराने की अंतिम तिथि (ऋणी एवं अऋणी कृषक)

खरीफ़	रबी
16 अगस्त 2016	15 जनवरी 2017

अऋणी कृषकों हेतु दस्तावेज़

- पहचान पत्र
- पूर्णतः भरा हुआ प्रस्ताव पत्र
- बुवाई प्रमाण पत्र
- भू - अधिकार पुस्तिका
- ऋणी किसानो को बैंक द्वारा अनिवार्य रूप से बीमित किया जाएगा

ऋणी एवं अऋणी कृषक बीमा कराने हेतु नज़दीकी सहकारी/बैंक शाखा, कृषि अधिकारी/बीमा कंपनी या टोल फ्री नंबर (1800 2 660 700) पर संपर्क करें।

अभिकर्ता (एजेंट) बनने हेतु संपर्क करें:

सागर : 75666 65016 | **गुना :** 84069 89444
ग्वॉलियर : 98264 61800 | **अशोकनगर :** 98934 99110
टीकमगढ़ : 90394 72847 | **पन्ना :** 97554 91944
दतिया : 87200 12011 | **दामोह :** 74083 92777
छतरपुर : 74083 92333 | **शिवपुरी :** 87956 85777

HDFC ERGO
GENERAL INSURANCE
Har pal aapke saath

एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, रजिस्टर्ड और कॉर्पोरेट ऑफिस: पहली मंजिल, एचडीएफसी हाउस, 165-166, बैकवे रिक्लेमेशन, एच. टी. पारेख मार्ग, चर्चगेट, मुंबई - 400 020. कस्टमर सर्विस का पता: छठी मंजिल, लीला बिजनेस पार्क, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 059. जोखिम घटकों, नियमों व शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया बिक्री के समापन से पहले सेल्स ब्रोशर को पढ़ लें. उपरोक्त प्रदर्शित किए गए ट्रेड लोगो एचडीएफसी लि. तथा एर्गो इंटरनेशनल एजी के हैं तथा एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी द्वारा उनका इस्तेमाल लाइसेंस के अंतर्गत किया गया है. टोल फ्री: 1800 2 700 700 (केवल भारत से सम्पर्क योग्य) | फैक्स: 91 22 66383699 | care@hdfcergo.com | www.hdfcergo.com. CIN : U66010MH2002PLC134869. IRDAI Reg No. 125. UID No. 1712.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मार्गदर्शिका

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पेज नम्बर
1	माननीय मुख्यमंत्री का संदेश	
2	माननीय सहकारिता मंत्री का संदेश	1
3	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी	3–10
4	म.प्र. शासन किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन संबंधी निर्देश	11–16
5	पूर्व संचालित राष्ट्रीय फसल बीमा योजना एवं नवीन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रमुख अंतर– शीर्ष बैंक का पत्र दिनांक 12.04.2016	17–21
6	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन संबंधित कार्यालय आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं भोपाल द्वारा दिनांक 26.05.2016 जारी निर्देश	22–23
7	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु समिति स्तर पर प्रमुख जानकारियां फ्लेक्स के माध्यम से प्रदर्शित करने बाबत् शीर्ष बैंक का पत्र दिनांक 14.06.2016	24–25
8	ऋणी कृषक के बीमा हेतु घोषणा पत्र प्रारूप	26–27
9	अऋणी कृषक के बीमा हेतु घोषणा पत्र प्रारूप	28–29
10	अऋणी कृषक हेतु पंजीकरण प्रपत्र	30
11	अऋणी कृषक के लिये प्रस्ताव पत्र	31–32
12	प्रीमियम की प्राप्ति रसीद एवं निर्देश	33–34
13	खाता संख्या में बदलाव के लिये आवेदन	35
14	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सूचना सह दावा प्रपत्र	36–37
15	कृषको की जानकारी एक्सल शीट में बीमा कंपनी को भेजने हेतु प्रारूप	38
16	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत पोर्टल में भरने वाली जानकारी	39–40
17	कृषको को फसल बीमा प्रीमियम की रसीद देने के संबंध में शीर्ष बैंक का पत्र दिनांक 17.06.2016	41
18	मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण का पत्र दिनांक 19.07.2016 से प्राप्त निर्देश	42–43
19	प्रधानमंत्री फसल बीमा की प्रतिदिन जानकारी भेजने बाबत् शीर्ष बैंक का पत्र दिनांक 08.07.2016	44–45
20	बीमा कम्पनियों के नोडल अधिकारियों की जानकारी	46–48

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

मध्यप्रदेश शासन
भोपाल– 462 004

स.क्र. 217, 26 जुलाई, 2016

संदेश

अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मार्गदर्शिका प्रकाशित की जा रही है।

मध्यप्रदेश शासन कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिये संकल्पित है। राज्य सरकार की कृषक मित्र नीतियों और निर्णयों से मध्यप्रदेश की कृषि उत्पादकता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। मध्यप्रदेश को भारत शासन द्वारा गत तीन वर्षों से निरंतर "कृषि कर्मण अवार्ड" से पुरूस्कृत किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में लागू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कृषकों के लिये वरदान सिद्ध होगी। इसमें किसानों के लिये सभी जरूरी प्रावधान किये गये हैं।

कृषकों को उनकी फसलों में हुई क्षति की वास्तविक भरपाई सुनिश्चित हो सकेगी तथा कृषि से और अधिक आय प्राप्त होगी और उनके जीवन स्तर में समृद्धि एवं खुशहाली आयेगी।

आशा है यह मार्गदर्शिका कृषकों एवं संबद्ध संस्थाओं के लिये उपयोगी साबित होगी तथा योजना के सुचारू एवं सफल क्रियान्वयन में सक्षम मार्गदर्शक की भूमिका निभायेगी।

शुभकामनाओं सहित।

(शिवराज सिंह चौहान)

प्रदेश में कृषि क्रांति के सूत्रधार
मुख्यमंत्री का सपना हो रहा साकार
स्वर्णिम मध्यप्रदश की पहचान बना समृद्ध किसान

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

0%
ब्याज दर पर

विश्वास सारंग
राज्य मंत्री, सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुर्नवास (स्वतंत्र प्रभार) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

65 लाख किसान परिवारों को वर्ष 2017–18 तक 25 हजार करोड़ के फसल ऋण वितरण का लक्ष्य।

समस्त सहकारी बैंकों में एन.ई.एफ.टी. एवं कोर बैंकिंग की सुविधाएं लागू

शीर्ष बैंक (अपेक्स बैंक) शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण वितरण की प्रगति

वर्ष	2012-13	10343.08 करोड़
	2013-14	12686.22 करोड़
	2014-15	13402.71 करोड़

आगामी लक्ष्य 25000 करोड़

प्रदेश में गेहूं, धान एवं मक्का उपार्जन

	गेहूं,धान एवं मक्का का कुल उपार्जन	लाभान्वित कृषक
2012-2013	98.52 लाख मी. टन	12.95 लाख
2013-2014	80.08 लाख मी. टन	11.94 लाख
2014-2015	84.88 लाख मी. टन	14.21 लाख

सशक्त सहकारिता; समृद्ध मध्यप्रदेश
अपेक्स बैंक

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित

समृद्धि आपकी, योजनाएं हमारी

अपेक्स बैंक

सपनों को करें साकार

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

किसान क्रेडिट कार्ड वितरण में सहकारी बैंक प्रदेश में नं. 1

विश्वास सारंग
राज्य मंत्री, सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुर्नवास (स्वतंत्र प्रभार) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

किसान क्रेडिट कार्ड

किसान क्रेडिट कार्डों का वितरण

कुल जारी किसान क्रेडिट कार्ड	- 78.84 लाख
इसमें से सहकारी बैंकों द्वारा जारी	- 51.64 लाख
भागीदारी का प्रतिशत	- 65.34%

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

प्रदेश के गरीब परिवारों को जीवनयापन हेतु **सार्वजनिक वितरण प्रणाली** के क्रियान्वयन में सहकारी समितियों द्वारा प्रति माह **116.60 लाख** कार्डधारियों को **28.45 लाख** क्विंटल खाद्य सामग्री का वितरण किया जाता है।

सशक्त सहकारिता; समृद्ध मध्यप्रदेश

अपेक्स बैंक

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित

विश्वास सारंग
राज्य मंत्री
सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी
राहत तथा पुर्नवास (स्वतंत्र प्रभार)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

निवासः सी–12,
(74 बंगला), स्वमी दयानंद नगर
भोपाल–462002
दूरभाष 0755–2764577
अ.शा.पत्र क्रमांक 01
भोपाल क्रमंक 2016

संदेश

कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने की मध्यप्रदेश शासन की प्रतिबद्धता के चलते शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋणों के वितरण के साथ अब किसानों के लिए मुख्यमंत्री सहकारी कृषक ऋण सहायता अनुदान योजना भी लागू की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन से प्राकृतिक आपदाओं के लिए वृहद सुरक्षा कृषकों को उपलब्ध होने का पथ प्रशस्त हो गया है। यह प्रसन्नता का विषय है कि मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा सहकारी बैंकों एवं प्राथमिक कृषि साख संस्थाओं के कर्मचारियों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शी बिंदुओं को एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। मुझे आशा है कि संबंद्ध अधिकारियों कर्मचारियों के लिए यह पुस्तिका अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।

शुभकामनाओं सहित।

(विश्वास सारंग)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
PRADHAN MANTRI FASAL BIMA YOJNA

भारत सरकार ने रबी 1999–2000 से रबी 2015–2016 तक राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना क्रियान्वित की थी । उक्त योजना के स्थान पर, खरीफ–2016 मौसम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है ।

उददेश्य

- प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों से किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा आवरण एवं वित्तीय समर्थन प्रदान करना ।
- किसानों को खेती कार्य में बनाये रखने के लिये किसानों की आय को स्थिर करना ।
- किसानों को नवीन/अभिनव और आधुनिक कृषि प्रणालियों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना।
- कृषि क्षेत्र के लिए ऋण की सुविधा निश्चित करना।

आवरित जोखिम

- प्राकृतिक आग, बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, अंधड, टेम्पेस्ट, हरीकेन, टौरनैडो, बाढ़, जल भराव, भू–स्खलन, सूखा, सूखा अवधि, कीट/बीमारियाँ इत्यादि ।
- **अपवर्जन युद्ध, परमाणु युद्ध, जंगली जानवरों द्वारा नुकसान की स्थिति में किसी भी तरह का जोखिम स्वीकार नहीं किया जायेगा ।**

योजना के क्रियान्वयन एवं जांच हेतू समिति

- राज्य स्तर पर – राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति, जिसके अध्यक्ष कृषि उत्पादन आयुक्त, एवं सदस्यों में विभिन्न शासकीय विभागों बैंकों व बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि होगें।
- जिला स्तर पर – जिला स्तरीय समन्वय समिति, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर एवं सदस्यों में विभिन्न शासकीय विभागों, बैंकों व बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि होगें।

प्रीमियम दरें एवं बैंक सर्विस चार्जेज

मौसम	फसल	दरें
खरीफ	सभी खाद्य फसलें और तिलहन फसलें (सभी अनाज, कदन्न, दलहन तथा तिलहन फसलें)	2%
रबी	सभी खाद्य फसलें और तिलहन फसलें (सभी अनाज, कदन्न, दलहन तथा तिलहन फसलें)	1.5%
खरीफ और रबी	वार्षिक नकदी/वार्षिक बागवानी फसलें	5%

मौसम	फसल	दरे	जिला
खरीफ	कपास	2.5%	धार

खरीफ	कपास	3%	अलीराजपुर, खरगोन, बुरहानपुर
खरीफ	कपास	4%	बडवानी, झाबुआ
खरीफ	कपास	5%	छिंदवाडा, खंडवा

इस योजना के अंतर्गत बैंकों को सर्विस चार्ज 4% की दर से देय होगा।

फसल कटाई प्रयोगः

क्रं संख्या	इकाई क्षेत्र	अधिसूचित फसले (खरीफ 2016)	अधिसूचित फसले (रबी 2016)	अपेक्षित फसल कटाई प्रयोगों की कम से कम संख्या
1.	जिला	मूँग, उड़द	मसूर	24
2.	तहसील	ज्वार, कोदो कुटकी, मूँगफली, तिल, कपास	अलसी	16
3.	पटवारी हल्का	धान सिंचित, धान असिंचित, बाजरा, मक्का, तुअर, सोयाबीन	गेहूं सिंचित, गेहू असिंचित, चना, राई सरसों	4

बीमित कृषकः

ऋणी कृषक – अनिवार्य आधार पर, जो किसान अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल हेतु वित्तीय संस्थाओं से फसल वार ऋण स्वीकृत कराता है/लेता है ।

अऋणी कृषक – स्वैच्छिक आधार पर, जो किसान अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल हेतु ऋण नहीं लेता है, वह भी इस योजना में अपनी फसल का बीमा करवा सकता है ।

अऋणी कृषक के लिए बीमा कराने हेतु आवश्यक दस्तावेज निम्नानुसार होंगेः–

1. नवीनतम भू अधिकार पुस्तिका
2. सक्षम अधिकारी द्वारा बुवाई प्रमाण पत्र
3. पूर्णतः भरा हुआ प्रस्ताव फार्म पहचान पत्र (मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड)
4. वास्तविक निरस्त चेक/पास बुक के पहले पन्ने की छाया प्रति/चेक की छाया प्रति जिसमें खाता धारक का नाम हो।
5. किरायेदारी/पट्टेदारी के अनुबंध की छायाप्रति ।
6. यदि कृषक का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कृषक रजिस्ट्रेशन फार्म भरा जायेगा।

निर्धारित अंतिम तिथियां

क्रं	विवरण	खरीफ	रबी
1	ऋणी किसान एवं अऋणी किसान के बीमांकन की अंतिम तिथि । ऋणी किसानों के खाते से प्रीमियम राशि काटने की/अऋणी किसान के प्रीमियम एवं प्रस्ताव पत्र बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि	1अप्रेल से 16 अगस्त	15 सिंतम्बर से 15 जनवरी

2	बैंकों द्वारा बीमा कम्पनी को घोषणा–पत्र भेजने की अंतिम तिथि	31 अगस्त ऋणी किसान एव 22 अगस्त अऋणी किसान	31 जनवरी ऋणी किसान एव 22 जनवरी अऋणी किसान
3	फसल के औसत पैदावार के आकडे, प्राप्त करने की अंतिम तिथि	31 जनवरी/ तुअर व कपास फसल हेतू 31 मई	30 जून
4	दावा भुगतान	पैदावार के आकड़े प्राप्त होने के 3 सप्ताह के अंदर (शासन से अनुदान राशि प्राप्त होने के उपरान्त ही)	

क्षतिपूर्ति के विकल्पः

1. स्थानीय आपदा LOCALIZED RISKS:
   ओलावृष्टि, भू–स्खलन एवं जलभराव होने पर बीमित किसानों को व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति का आंकलन जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा ।

पात्रता का मापदंड

- केवल वही किसान जिनकी प्रीमियम राशि बीमित जोखिम से पूर्व काटी गई है।
- यदि अधिसूचित फसल का प्रभावित क्षेत्र बीमित क्षेत्र के 25 प्रतिशत से ज्यादा है तो वे सभी किसान जिन्होने अधिसूचित फसल के लिये बीमा आवरण लिया है क्षतिपूर्ति के लिये पात्र होगें। नुकसान का प्रतिशत सर्वे के नमूने पर आधारित होगा।

प्रतिपत्री सूचक :

स्थानीय समाचार पत्रों की सूचना पर आधारित या कृषि विभाग/राजस्व विभाग की सूचना पर आधारित।

नुकसान मूल्यांकन प्रक्रियाः

- किसान को 72 घंटों के अंदर जिला प्रशासन, बीमा कम्पनी को सूचना देनी होगी
- बैंको द्वारा 72 घंटों के अंदर प्रीमियम भुगतान का सत्यापन करना होगा।

सूचित करने की प्रक्रियाः

- किसान को 72 घंटों के अंदर जिला प्रशासन, संबंधित बैंक, बीमा कम्पनी, स्थानीय कृषि विभाग, सरकारी/जिला स्तरीय प्रतिनिधि को सूचना देनी होगी।

नुकसान मूल्यांकन के लिये आवश्यक दस्तावेज/साक्ष्यः

- बैंक से दावा प्रपत्र (Claim Form) प्राप्त कर बैंक के माध्यम से बीमा कम्पनी को भेजना होगा ।

नुकसान मूल्यांकन की समयावधिः

- अगले 10 दिनो के अंदर नुकसान का मूल्यांकन पूरा करना है।
- अगले 15 दिनों के अंदर दावा समायोजित करना है।

शर्तेः

- यदि उक्त अधिसूचित क्षेत्र पटवारी हल्का/तहसील/जिले में कुल बोये गये रकबे का 25 प्रतिशत से अधिक रकबा प्रभावित होता है, तो सम्पूर्ण इकाई को प्रभावित माना जावेगा एवं सक्षम कमेटी/बीमा कम्पनी द्वारा क्षति का आंकलन कर दावों का भुगतान किया जायेगा ।
- बीमा कंपनी द्वारा भुगतान प्रीमियम अनुदान का सरकारी अंश प्राप्त होने के बाद किया जायेगा।
- बीमा कंपनी नुकसान निरीक्षण के 30 दिनों के भीतर दावों का भुगतान करेंगी।
- मौसम समाप्ति के पश्चात् उपज के आंकड़ों के आधार पर यदि दावा राशि ज्यादा होती है तो शेष दावा राशि मौसम समाप्ति के पश्चात् दी जावेगी।
- नुकसान होने की स्थिति बैंक में किसानों की सूची 7 दिनों के भीतर बीमा कंपनी को भेंजे।

उधारहणः

बीमित राशि	मूल्यांकित नुकसान प्रतिशत	दावाप्रदाय	मौसम समाप्ति पर उपज में कमी का प्रतिशत	अनुमानित दावा राशि	शेष दावा राशि
30000	40%	30000*40% =12000	60%	30000*60%= 18000	18000-12000=6000

2. बुआई विफलता Prevented/Failed sowing and prevented Planting/Germination Claims: यदि उक्त अधिसूचित क्षेत्र पटवारी हल्का/तहसील/जिला में कुल बोये गये रकबे का 75 प्रतिशत से अधिक रकबा प्रभावित होता है, जिसे जिला प्रशासन द्वारा नोटीफिकेशन जारी किया जावेगा, जिसके कारण किसान फसल बुआई में असमर्थ होता है, तो उक्त किसानों को बीमा आवरण दिया जायेगा।

पात्रता का मापदंडः

- राज्य सरकार अधिसूचित बीमित इकाई एवं फसलवार सामान्य बोये गये क्षेत्रफल की जानकारी मौसम प्रांरभ होने के 15 दिनों की अंदर देगी।
- अधिसूचित बीमित इकाई, बुआई विफलता के लिये पात्रित होगी यदि बोयी गयी अधिसूचित फसल के क्षेत्रफल का 75 प्रतिशत क्षेत्र उपरोक्त जोखिम के कारण बुआई योग्य नही है।
- केवल वही किसान जिनकी प्रीमियम राशि बीमित जोखिम से पूर्व काटी गई है।

प्रतिपत्री सूचक :

- वर्षा आधारित आंकड़ें, अन्य मौसम आधारित आंकड़ें, सेटेलाइट प्रति एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई फसल स्थिति सूचना, मीडिया द्वारा दी गई सूचना एवं राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित बोये गये क्षेत्रफल का डाटा।

नुकसान मूल्यांकन प्रक्रियाः

- राज्य सरकार अधिसूचित बीमित इकाई में बुआई की विफलता अनुमानित क्षेत्र के अनुसार घोषित करेगी।
- बीमित राशि का 25 प्रतिशत तक की राशि दावा के रूप में दी जावेगी एवं बीमा आवरण समाप्त कर दिया जावेगा।

शर्तेः

- जोखिम की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा अनुमानित बोये गये क्षेत्रफल के आंकडें प्राप्त होने पर बीमा कंपनी द्वारा 30 दिनों के अंदर दावों का भुगतान किया जावेगा।
- बीमा कंपनी द्वारा भुगतान प्रीमियम अनुदान का सरकारी अंश प्राप्त होने के बाद किया जायेगा।
- एक बार ऐसे जोखिम की स्थिति के पश्चात् प्रभावित फसल एवं प्रभावित क्षेत्र के किसानों का कोई बीमा नही किया जावेगा।

उदाहरणः

बीमित इकाईयां	प्रभावित क्षेत्र का प्रतिशत	प्रभावित बीमित इकाईयां	बीमित राशि	दावा राशि
100	80%	50	20000	20000X 25%=5000

3. मौसम के दौरान प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों में दावा भुगतान On account payment of claims due to Mid-Season Adversity

मौसम के मध्य में प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों जैसे – बाढ़, लम्बे समय तक शुष्क मौसम, सूखा में जहां मौसम के दौरान अनुमानित उपज थ्रेशोहल्ड उपज के 50 प्रतिशत से कम होने पर ।

पात्रता का मापदंडः

- मौसम के दौरान अनुमानित उपज थ्रेशहोल्ड उपज के 50 प्रतिशत से कम होने पर।
- केवल वही किसान जिनकी प्रीमियम राशि बीमित जोखिम से पूर्व काटी गई है।
- ऐसे जोखिम की स्थिति में अनुमानित दावें की अधिकतम 25 प्रतिशत राशि ही प्रदान की जावेगी।

प्रतिपत्री सूचक :

- वर्षा आधारित आंकड़ें, अन्य मौसम आधारित आंकड़ें, सेटेलाइट प्रति एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई फसल स्थिति सूचना, मीडिया द्वारा दी गई सूचना एवं राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित बोये गये क्षेत्रफल का डाटा।

नुकसान मूल्यांकन प्रक्रियाः

- बीमा कंपनी एवं राज्य सरकार मिलकर एक संयुक्त समिति का गठन करेगें। यह संयुक्त समिति मौसम आधारित आंकडों/वर्षा आधारित आंकड़ों के आधार पर उपज में कमी का आंकलन करेंगें। नुकसान की सूचना 7 दिनों के भीतर दी जावेगी।
- यदि मौसम के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसी अधिसूचित क्षेत्र पटवारी हल्का/तहसील/जिला में निर्धारित थ्रेशहोल्ड उपज से 50 प्रतिशत से कम फसल आने की आशंका होती है तो जिला प्रशासन द्वारा नोटीफिकेशन जारी किया जायेगा कि उक्त अधिसूचित क्षेत्र पटवारी हल्का/तहसील/जिला में निर्धारित थ्रेशहोल्ड उपज से 50 प्रतिशत या उससे कम उपज आने की संभावना है, तो बीमा कम्पनी द्वारा निम्नानुसार फार्मूलेनुसार दावों की गणना की जावेगी :–

(थ्रेशहोल्ड उपज – अनुमानित उपज)
————————————————————X बीमित राशि X 25%
थ्रेशहोल्ड उपज

नुकसान मुल्यांकन की समायावधिः

- संयुक्त समिति मौसम आधारित आंकडों/वर्षा आधारित आंकड़ों के आधार पर उपज में कमी का आंकलन करेगी। नुकसान की सूचना 7 दिनों के भीतर दी जावेगी।

शर्तेः

- बीमा कंपनी द्वारा भुगतान प्रीमियम अनुदान का सरकारी अंश प्राप्त होने के बाद किया जायेगा।
- बीमा कंपनी द्वारा यह राशि जोखिम की सूचना मिलने के 1 माह के अंदर पात्र किसानों को दे दी जावेगी।
- उक्त दावा भुगतान हो जाने के पश्चात, मौसम के अन्त में औसत पैदावार के आधार पर बने दावों में समायोजन किया जायेगा ।

उदाहरणः

बीमित इकाईयां	प्रभावित बीमित इकाईयां	वर्गीकरण 1	वर्गीकरण 2	वर्गीकरण 3
100	30	5X80%	10X70%	15X60%
बीमित राशि		1 करोड़	2 करोड़	3 करोड़
अनुमानित दावें का राशि		80 लाख	140 लाख	180 लाख
प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों पर दावा भुगतान		80 लाख का 25 प्रतिशत, 20 लाख	140 लाख का 25 प्रतिशत, 35 लाख	180 लाख का 25 प्रतिशत, 45 लाख

4. फसल कटाई के बाद दावा भुगतान Post-Harvest Losses

फसल कटाई के बाद भी चक्रवात एवं बेमौसम बारिश का जोखिम भी 14 दिनों तक आवरित करने का प्रावधान है।

पात्रता का मापदंडः

फसल कटाई के बाद भी चक्रवात एवं बेमौसम बारिश से प्रभावित फसलें।

प्रतिपत्री सूचक :

स्थानीय समाचार पत्रों की सूचना पर आधारित या कृषि विभाग/राजस्व विभाग की सूचना पर आधारित।

नुकसान मूल्यांकन प्रक्रियाः

- किसान को 72 घंटों के अंदर जिला प्रशासन, बीमा कम्पनी को सूचना देनी होगी
- बैंको द्वारा 72 घंटों के अंदर प्रीमियम भुगतान का सत्यापन करना होगा।

सूचित करने की प्रक्रियाः

- किसान को 72 घंटों के अंदर जिला प्रशासन, संबंधित बैंक, बीमा कम्पनी, स्थानीय कृषि विभाग, सरकारी/जिला स्तरीय प्रतिनिधि को सूचना देनी होगी।

नुकसान मूल्यांकन के लिये आवश्यक दस्तावेज/साक्ष्यः

- बैंक से दावा प्रपत्र (Claim Form) प्राप्त कर बैंक के माध्यम से बीमा कम्पनी को भेजना होगा ।

नुकसान मुल्यांकन की समायावधिः

- अगले 10 दिनो के अंदर नुकसान का मूल्यांकन पूरा करना है।
- अगले 15 दिनों के अंदर दावा समायोजित करना है।
- यदि उक्त अधिसूचित क्षेत्र पटवारी हल्का/तहसील/जिला में कुल बोये गये रकबे का 25 प्रतिशत से अधिक रकबा प्रभावित होता है, तो सम्पूर्ण इकाई को प्रभावित माना जावेगा एवं कमेटी/बीमा कम्पनी द्वारा क्षति का आंकलन कर दावों का भुगतान किया जायेगा ।
- मौसम समाप्ति के पश्चात् उपज के आंकड़ों के आधार पर यदि दावा राशि ज्यादा होती है तो शेष दावा राशि मौसम समाप्ति के पश्चात् दी जावेगी।

शर्तेः

- यदि उक्त अधिसूचित क्षेत्र पटवारी हल्का/तहसील/जिला में कुल बोये गये रकबे का 25 प्रतिशत से अधिक रकबा प्रभावित होता है, तो सम्पूर्ण इकाई को प्रभावित माना जावेगा एवं कमेटी/बीमा कम्पनी द्वारा क्षति का आंकलन कर दावों का भुगतान किया जायेगा ।
- बीमा कंपनी द्वारा भुगतान प्रीमियम अनुदान का सरकारी अंश प्राप्त होने के बाद किया जायेगा।
- बीमा कंपनी नुकसान निरीक्षण के 30 दिनों के भीतर दावों का भुगतान करेंगी।
- मौसम समाप्ति के पश्चात् उपज के आंकड़ों के आधार पर यदि दावा राशि ज्यादा होती है तो शेष दावा राशि मौसम समाप्ति के पश्चात् दी जावेगी।

उदाहरणः

बीमित राशि	बीमित इकाई के प्रभावित क्षेत्र का प्रतिशत	मूल्यांकित नुकसान का प्रतिशत	फसल कटाई के बाद दावा भुगतान	मौसम समाप्ति पर उपज में कमी का प्रतिशत	मौसम समाप्ति पर अनुमानित दावा	मौसम समाप्ति पर शेष दावा राशि
50000	80%	50%	50000X50% =25000	60%	50000X60% = 30000	30000-25000= 5000

क्षतिपूर्ति (दावा भुगतान):

थ्रेशहोल्ड उपज – पिछले 7 वर्षों की औसत पैदावार के आधार पर (जिसमें से प्राकृतिक आपदा के 2 सबसे खराब वर्ष को छोड़कर) निर्धारित क्षतिपूर्ति सीमा 80% के गुणांक में होगी।

$$\text{दावा राशि} = \frac{\textbf{थ्रेशहोल्ड उपज} - \textbf{वास्तविक उपज}}{\textbf{थ्रेशहोल्ड उपज}} \times \text{बीमित राशि}$$

देय क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान संबंधित बीमा कम्पनियां जिस बैंक शाखा के माध्यम से किसान की फसल का बीमा हुआ है, उसके माध्यम से दावों का भुगतान करेंगी।

योजना की अधिक जानकारी हेतू भारत शासन द्वारा जारी क्रियान्वयन मार्गदर्शिका (OPERATIONAL GUIDELINES) का अवलोकन करें:–

http://agricoop.nic.in/Admin_Agricoop/Uploaded_File/OprationalGuidelines1822016.pdf

बैंकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देशः

- बैंक फसल बीमा कराने हेतु प्रस्ताव पत्र/घोषणा–पत्र अधिसूचित फसल वार, ऋण मान की सीमा के अंतर्गत तथा क्षेत्र वार बीमा कम्पनियों को निर्धारित तिथि के भीतर प्रेषित करें एवं खरीफ मौसम में धान फसल एवं रबी मौसम में गेहूँ फसल के लिये सिंचित/ असिंचित का उल्लेख अवश्य करें।
- आपदा से पूर्व प्रीमियम ना काटने पर दावा बनने की स्थिति में संबंधित बैंक ऐसी हानियॉ की भरपाई करेगा।
- स्थानीय आपदाओं के मामले में, यदि बीमित कृषक द्वारा कोई सूचना बैंक को दी जाती है तो बैंक द्वारा बीमा कंपनी को अविलम्ब सूचित किया जायेगा।
- बैंक द्वारा की गई त्रुटि की अवस्था में संबंधित बैंक उत्तरदायी होगा।
- क्रियान्वयन बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त होने के बाद बैंक एक सप्ताह के अन्दर कृषकों के खातों में समायोजित करें।
- बैंक कृषकों की सूची किसान पोर्टल (www.agri-insurance.gov.in)पर अपलोड करें। तथा उसकी साफ्ट कॉपी बीमा कंपनी को उपलब्ध करायें।
- बैंकों द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र 15 दिनों के अंदर हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी में बीमा कंपनी को प्रेषित किया जाये।

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक बी–8–5/2016/14–2 भोपाल, दिनांक 03 मई, 2016

प्रति,

कलेक्टर
जिला ..... (समस्त)
मध्यप्रदेश।

विषयः प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन राज्य में खरीफ 2016 से प्रारंभ किया जा रहा है। योजना को क्रियान्वित करने के लिये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मार्गदर्शी निर्देशों एवं राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति द्वारा निम्नानुसार प्रावधान निर्धारित किये गये हैं, जिसके अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

1. यह योजना मध्यप्रदेश राज्य के राज्य शासन द्वारा अधिसूचित जिलों की जिलों/तहसीलों/पटवारी हल्कों में अधिसूचित फसलों के लिये कार्यान्वित की जावेगी।
2. यह योजना अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसलों हेतु ऋणी कृषकों के लिये अनिवार्य एवं अऋणी कृषकों के लिये ऐच्छिक है।
3. योजनान्तर्गत खरीफ का मौसम 1 अप्रैल से 16 अगस्त तक है। इसके मध्य अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों के लिये वितरित फसलवार ऋणी कृषकों का जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित अल्पावधि ऋणमान (स्केल ऑफ फायनेन्स) का 100 प्रतिशत बीमा होना अनिवार्य है। जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा 30 अप्रैल 2016 की स्थिति में निर्धारित अल्पावधि ऋणमान (स्केल ऑफ फायनेन्स) वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए बीमित राशि होगी। वर्ष 2017–18 के लिये 01–04–2017 तथा वर्ष 2018–19 के लिये 01–04–2018 को नियत ऋणमान उक्त वर्ष में लागू होगें।
4. कृषकों हेतु प्रीमियम दर मौसम खरीफ में समस्त अनाज तिलहन एवं दलहन फसलों के लिये बीमित राशि का 2.0 प्रतिशत या वास्तविक दर जो भी कम हो तथा मौसम रबी में समस्त अनाज, तिलहन एवं दलहन फसलों के लिये बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत या वास्तविक दर जो भी कम हो लागू होगी। कपास फसल के लिये प्रीमियम दर 5 प्रतिशत या वास्तविक दर, जो भी कम हो लागू होगी।
5. म.प्र. राज्य में सभी बीमित अधिसूचित फसलों के लिये ऋणी एवं अऋणी कृषकों हेतु क्षतिपूर्ति स्तर (Indemnity Level) 80 प्रतिशत होगा।
6. राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिये निम्नानुसार जिलों के 5 क्लस्टर निर्धारित किये गये है।

क्लस्टर	संभाग	जिले	नियत क्रयान्वयन एजेन्सी (IA)
ए	उज्जैन, शहडोल	उज्जैन,रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, देवास, आगर मालवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया	आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड
बी	इंदौर, नर्मदापुरम	इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल	ए.आई.सी. ऑफ इण्डिया
सी	सागर, ग्वालियर	सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर	एच.डी.एफ.सी.–इरगो
डी	जबलपुर, रीवा	जबलपुर, कटनी, मण्डला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, डिण्डोरी, सिवनी, रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली	ए.आई.सी. ऑफ इण्डिया
ई	भोपाल, चंबल	भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, मुरैना, श्योपुर कलां भिण्ड	ए.आई.सी. ऑफ इण्डिया

1 अप्रैल, 2016 से उक्त समस्त दसों संभागों में समस्त ग्रामों में फसल ऋण पर ऋणमान (स्केल ऑफ फायनेन्स) जमा किये जायेंगे। नियत बीमा एजेन्सी अऋणी किसानों के बीमे के लिये Insurance Regulatory Development Authority गाइड लाईन्स अनुसार बीमा एजेन्ट नियुक्त कर प्रशासन तथा राज्य सरकार को नियत बीमा कम्पनी सूचित करेगी।

7. दावा राशि की गणना निम्नानुसार सूत्र के आधार पर की जावेगी।

$$\text{दावा राशि} = \frac{\text{(थ्रेश होल्ड उपज} - \text{वास्तविक उपज)}}{\text{थ्रेश होल्ड उपज}} \times \text{बीमित राशि}$$

वास्तविक उपज की गणना फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर की जावेगी। थ्रेशहोल्ड उपज की गणना अधिसूचित इकाई में अधिसूचित फसल के लिये पिछले 7 वर्षों के उत्पादकता के आंकड़ों के आधार पर की जावेगी, किन्तु शासन द्वारा म.प्र. राज्य के लिये वर्ष खरीफ मौसम हेतु 2013 एवं 2015 एवं रबी, मौसम में 2012–13 एवं 2013–14 को आपदा वर्ष घोषित किया गया है। इस स्थिति में 2 आपदा वर्ष को विलोपित कर शेष 5 वर्षों के आंकड़ों के औसत उपज के आधार पर थ्रेश होल्ड उपज की गणना की जावेगी। मूंग एवं उड़द हेतु आपदा वर्ष लागू नहीं हागें एवं थ्रेश होल्ड उपज की गणना पिछले 3 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर की जावेगी।

8. यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र जिला/तहसील/पटवारी हल्कों में निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोग नहीं होते हैं या औसत पैदावार के आंकड़े प्राप्त नहीं होते हैं, तो उस इकाई के उच्चतर इकाई की औसत पैदावार के आंकड़ों के आधार पर दावों का आंकलन किया जायेगा।

9. राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति के अनुमोदन अनुसार योजना के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों की अंतिम तिथियां निम्नानुसार घोषित की गई है:–

क्र	गतिविधि	खरीफ	रबी
1	ऋण लेने की अवधि एवं अऋणि किसानों के प्रस्ताव प्राप्त होने की अंतिम तिथि	1 अप्रैल से 16 अगस्त	15 सितम्बर से 15 जनवरी

2	किसानों के खातों से प्रीमियम काटने की अंतिम तिथि Debit from farmers account	1 अप्रैल से 16 अगस्त	15 सितम्बर से 15 जनवरी
3	बैंकों से एकजाई घोषणा पत्र/ प्रस्ताव बीमा कंपनी को प्राप्त होने की अंतिम तिथि	ऋणी हेतु 31 अगस्त एवं अऋणी कृषकों के लिये 22 अगस्त	ऋणी हेतु 31 जनवरी एवं अऋणी कृषकों के लिये 22 जनवरी
4	बैंकों द्वारा कृषकों की जानकारी सॉफ्ट कॉपी फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि	ऋणी एवं अऋणी कृषकों के लिये 31 अगस्त	ऋणी एवं अऋणी कृषकों के लिये 31 जनवरी
5	फसल कटाई प्रयोग परिणाम प्राप्त होने की अंतिम तिथि (संबंधित अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा शासन की वेबसाईट पर आंकड़े अपलोड किये जायेगें)	31 जनवरी समस्त फसलों हेतु एवं तुअर, कपास हेतु 31 मई	30 जून
6	अंतिम दावा वितरण	उपज आंकड़े प्राप्त होने के 3 सप्ताह के अन्दर	

10 चूंकि योजना 1 अप्रैल 2016 से प्रभावशील है ऐसी स्थिति में वर्ष 2016–17 में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2016 के मध्य स्वीकृत ऋणमान के अनुसार कृषक बीमा के लिये पात्र होगा।

11. अऋणी कृषकों हेतु आवश्यक दस्तावेज
1. भू अधिकार पुस्तिका।
2. सक्षम अधिकारी द्वारा बुवाई प्रमाण पत्र (पटवारी अथवा ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान किया जावेगा।)
3. पूर्णतः भरा हुआ प्रस्ताव फार्म (बैंक एकाउन्ट की समस्त जानकारी सहित)
4. पहचान पत्र (इलेक्शन फोटो आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड)

12. जिलों से प्राप्त अधिसूचित फसलों, क्षेत्रों (जिला, तहसील, पटवारी, हल्का) की सूची प्राप्त होने पर शासन द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। प्रदेश के समस्त कलेक्टर शासन की वेबसाइट से अधिसूचित क्षेत्रों व फसलों की जांच कर ले। यदि जिले की अधिसूचना में कोई संशोधन हो तो तत्काल 20.5.2016 तक या उसके पूर्व आयुक्त भू–अभिलेख को संशोधन प्रेषित कर शासन को पृष्ठांकित करें। आयुक्त भू–अभिलेख द्वारा जिले के प्रस्ताव पर अनुशंसा किये जाने पर संशोधन अधिसूचना जारी की जावेगी। उक्त दर्शित दिनांक के पश्चात संशोधन करना संभव नहीं होगा। जिला स्तर से विलम्ब से संशोधन जानकारी प्राप्त होने के लिये सम्बधित राजस्व अधिकारी जिम्मेदार होगा।

13. अधिसूचित की गई फसलों/ क्षेत्रों में विधिवत निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोग कराए जाने तथा समय पर उक्त जानकारी आयुक्त भू– अभिलेख के पोर्टल पर अपलोड करने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की होगी। फसल कटाई प्रयोगों के दिनांक से पहले जिला कलेक्टर को नियत बीमा कंपनी (क्रियान्वयन एजेन्सी) को समय तथा स्थान की सूची प्रदान की जावेगी। क्रियान्वयन एजेन्सी का प्रतिनिधि फसल कटाई प्रयोगों में साक्षी (Witness) के रूप में उपस्थित हो सकेंगे।

14. योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित फसल अवस्थाओं पर अधिसूचित फसलों हेतु अधिसूचित क्षेत्र में फसल क्षति जोखिम आवरित किये जाते हैं।

(i) बुआई/रोपाई/अंकुरण नष्ट होने का जोखिमः– अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसलों में वर्षा की कमी या विपरित मौसमी परिस्थितियों के कारण बुआई/रोपाई/अंकुरण नष्ट होना।

(ii) फसल मौसम में मध्य में हानिः– खड़ी फसल (बुआई से कटाई तक) की अवस्था में:– सूखा, सूखा अंतराल, बाढ़, जलप्लावन, कीट व्याधि, भूस्खलन, प्राकृतिक आगजनी, बिजली गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, बवंडर आदि के कारण उत्पन्न जोखिम फसल हानि।

(iii) कटाई उपरांत क्षतिः– कटाई के उपरांत खेत में कटी हुई एवं बिना बंधी फैली हुई फसल के कटाई के 14 दिवस के भीतर चक्रवाती वर्षा एवं बेमौसम वर्षा के कारण फसल क्षति।

(iv) क्षेत्रीय आपदा– क्षेत्रीय आपदा जिसमें ओलावृष्टि, भूस्ख्लन एवं जलप्लावन के कारण उत्पन्न जोखिम से फसल क्षति।

15. राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त आपदाओं के लिये जिला कलेक्टर द्वारा आपदा से प्रभावित क्षेत्र की अधिसूचना जारी की जावेगी एवं इसकी सूचना किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, राजस्व विभाग, आयुक्त भू–अभिलेख एवं क्रियान्वयन ऐजेंसी (बीमा कंपनी) को दी जावेगी।

16. उक्त आपदाओं की स्थिति में कृषक द्वारा 72 घण्टों में बीमा कंपनी, संबंधित बैंक एवं जिला प्रशासन को सूचना दी जाना बंधनकारी होगी। जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार द्वारा भी उक्त अधिसूचना/सूचना बीमा कंपनी को सूचित की जा सकेगी। क्षति के आंकलन हेतु बीमा कंपनी/ क्रियान्वयन ऐजेंसी द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त किये जायेंगे, जो जिले में गठित मूल्यांकन समिति के साक्ष क्षति के आंकलन के दौरान साथ रहेगा।

17. बुआई/रोपाई/अंकुरण नष्ट होने की स्थिति में अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल के कुल रबके के 75 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त होने पर बिन्दु क्रमांक 9–(i) में आवरित जोखिम लागू होगा। म.प्र. राज्य में अधिसूचित फसलों हेतु बीमित इकाईवार एवं फसलवार सामान्य बुआई का रकबा जिला कलेक्टर द्वारा फसल मौसम के प्रारंभ के 15 दिनों के अंदर संबंधित बीमा कंपनी को उपलब्ध करायेगें तथा जिलावार एवं फसलवार बोनी की अवधि एवं अंतिम तिथि फसल मौसम के पूर्व संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा अधिसूचित किये जायेगें।

इस प्रावधान के अन्तर्गत प्रभावित बीमित इकाई में दावा राशि भुगतान होने पर बीमा स्वतः निरस्त हो जावेगा तथा इसके उपरान्त संबंधित बीमित इकाई में संबंधित फसल के लिये अन्य कोई दावा मान्य नहीं होगा।

18. फसल अवस्था के बीच में बिन्दु क्रमांक 9–ii के अनुसार फसल क्षति होने पर यदि बीमित इकाई में वास्तविक उपज थ्रेशहोल्ड उपज की 50 प्रतिशत से कम आने की संभाव होने पर यह प्रावधान लागू होगा। क्षति का आंकलन जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति करेगी एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मार्गदर्शी निर्देश xii - c & d के अनुसार क्रियान्वयन एजेन्सी (बीमा कंपनी) के माध्यम से दावा भुगतान सुनिश्चित करेगी। इस प्रावधान अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/बी–8–5/2016/14–1, भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2016 द्वारा जारी आदेशानुसार संबंधित जिले की मूल्यांकन समिति निम्नानुसार होगी तथा योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु अधिसूचित बीमा कंपनी जिला कलेक्टर के अध्यक्षता में गठित समिति के मार्गदर्शन में कार्य करेगी तथा संबंधित कंपनी के द्वारा योजना के प्रचार–प्रसार का कार्य जिले में किया जायेगा।

क्रमांक		
1	कलेक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	सदस्य
3	अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्ली कलेक्टर राजस्व	सदस्य सचिव
4	उप संचालक कृषि	सदस्य
5	परियोजना संचालक आत्मा	सदस्य
6	उप संचालक/ सहायक संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी	सदस्य
7	जिला योजना अधिकारी	सदस्य
8	उपायुक्त सहकारिता	सदस्य
9	अधीक्षक भू–अभिलेख	सदस्य
10	महाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	सदस्य
11	जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड	सदस्य
12	कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रतिनिधि	सदस्य
13	जिला लीड बैंक अधिकारी	सदस्य
14	प्रतिनिधि क्रियान्वयन एजेन्सी (फसल बीमा के लिये अधिकृत एजेन्सी)	सदस्य

ऑन अकाउन्ट भुगतान निम्नानुसार सूत्र के आधार पर किया जावेगा

(थ्रेश होल्ड उपज–अनुमानित उपज)

दावा राशि (अधिकतम)=————————————————————X बीमित राशि का 25%

थ्रेश होल्ड उपज

19. कटाई उपरान्त फसल क्षति का अवरण एकल प्लाट/ फार्म इकाई आधार पर बिन्दु क्रमांक 9– iii अनुसारसभी बीमित फसलों के लिये होगा। आपदा की स्थिति में कृषक द्वारा 72 घण्टे के अन्दर क्रियान्वयन एजेन्सी/जिला प्रशासन/ राजस्व विभाग/ कृषि विभाग क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा स्थापित टोल फ्री नंबर पर सूचना दी जावेगी। इस प्रावधान अंतर्गत क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा 58 घण्टों के भीतर क्षति आंकलन प्रतिनिधि नियुक्त किये जावेगें। यदि अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल का प्रभावित क्षेत्र कुल क्षेत्र के 25 प्रतिशत से अधिक होने पर पूर्ण बीमित इकाई को प्रभावित माना जावेगा एवं 25 प्रतिशत से कम होने पर प्रभावित कृषकों की पृथक–पृथक क्षति आंकलित कर दावा राशि की गणना की जावेगी।

20. क्षेत्रीय आपदा की स्थिति में बिन्दु क्रमांक 9–iv के अनुसार बीमा आवरित होगा। यदि किसी अधिसूचित इकाई में अधिसूचित फसल क्षति का रकबा 25 प्रतिशत से अधिक होने पर पूर्ण बीमित इकाई को प्रभावित माना जावेगा तथा 25 प्रतिशत से कम होने पर एकल फार्म/कृषक स्तर पर क्षति की गणना की जावेगी। क्षति का प्रतिशत संयुक्त समिति द्वारा निर्धारित सेम्पल सर्वे के आधार पर की जावेगी। आपदा की स्थिति में कृषक द्वारा 72 घण्टों के भीतर बीमा कम्पनी / संबंधित बैंक/ क्षेत्रीय कृषि विभाग/ राजस्व विभाग/ जिला प्रशासन या बीमा कम्पनी द्वारा स्थापित टोल फ्री नंबर पर की जावेगी। क्षति के आंकलन हेतु बीमा कम्पनी/ क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा क्षति आंकलन प्रतिनिधि नियुक्त किये जावेगे।

21. ऋणी कृषकों के लिये प्रीमियम राशि अतिरिक्त ऋण के तौर पर स्वीकृत की जानी चाहिये जो कि बीमित राशि से अतिरिक्त होगी।

22. मौसम के दौरान कृषक को वास्तविक तौर पर ऋण स्वीकृत किया जाना चाहिये ना कि कृषक द्वारा पूर्व में लिया गया ऋण जो कि चुकता नहीं किया गया हो, उसका बुक समायोजन नहीं किया जायेगा तथा सीजन विशेष हेतु स्वीकृत ऋण अनुसार ही कृषक के खाते से प्रीमियम काटकर बीमांकन किया जायेगा।

23. बैंक द्वारा बीमांकन के लिये प्रीमियम राशि फसल मौसम के अनुसार ही निर्धारित की गई तिथि के अंदर कृषकों के खाते से नामित की जावेगी। खरीफ एवं रबी के लिये प्रीमियम राशि पृथक– पृथक कृषकों के खाते से नामित की जावेगी।

24. राज्य में अधिसूचित बीमित इकाई एवं फसलों के अनुसार पटवारी हल्का स्तर पर प्रमुख फसलों के 4, तहसील स्तर पर 16 एवं जिला स्तर पर 24 फसल कटाई प्रयोग राजस्व विभाग द्वारा आयोजित किये जावेगें।

25. बुआई/रोपाई/अंकुरण नष्ट होने की स्थिति से इतर अन्य जोखिमों में तात्कालिक राहत/ दावा राशि भुगतान होने पर अंतिम वास्तविक उत्पादकता परिणाम के आधार पर बने अंतिम दावा राशि में समायोजन किया जावेगा। अंतिम दावा राशि अधिक होने पर तात्कालिक राहत राशि/ दावा को अंतिम दावा में समायोजन किया जावेगा। अंतिम दावा राशि अधिक होने पर ता त्कालिक राहत राशि/ दावा को अंतिम दावा राशि से घटाकर शेष भुगतान किया जावेगा एवं कम होने पर कृषक से कोई वसूली नहीं की जावेगी।

26. राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति के निर्णयानुसार अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल हेतु वास्तविक उपज के आंकड़ें व बोया गया रकबा राजस्व विभाग द्वारा शासन की वेबसाइट पर अंतिम दिनांक तक अपलोड किये जा सकेगें, वे ही मान्य होगें।

27. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मार्गदर्शी निर्देशिका के बिन्दु क्रमांक XXIV-4-M के अनुसार "योजना के तहत नोडल बैंक/शाखा/पी.ए.सी.एस. की गलतियों/विलोपनों/ कमीशन के कारण किसान फसल बीमा के लाभ से वंचित रहता है, तो संबंधित वित्तीय संस्थाऐं ही ऐसी हानियों की भरपाई करेगी।"

28. प्रदेश में खरीफ मौसम में धान सिंचित, धान असिंचित, बाजरा, मक्का, तुअर, सोयाबीन को पटवारी हल्का स्तर पर, ज्वार, कोदो– कुटकी, मूंगफली तिल, कपास, को तहसील स्तर पर एवं मूंग उड़द को जिला स्तर पर परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है। रबी मौसम में गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, चना, राई– सरसों को पटवारी हल्का स्तर पर, अलसी को तहसील स्तर पर एवं मसूर को जिला स्तर पर परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है।

29. योजना के संबंधित अन्य दिशा– निर्देशों के लिये भारत शासन द्वारा जारी क्रियान्वयन मार्गदर्शिका (OPERATIONAL GUIDELINES) का अनुपालन करेंगें।

–सही–
(बी.एस.धुर्वे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित
प्रधान कार्यालयः
न्यू मार्केट, तात्या टोपे नगर,
पोस्ट बॉक्स नम्बर–315,
भोपाल (म.प्र.) पिन–462003
टेलीफोनः 0755–2674736
फैक्सः 0755–2674718, 2555684

सशक्त सहकारिता; समृद्ध मध्यप्रदेश
अपेक्स बैंक

M.P. Rajya Sahakari Bank Mydt.
Head Office:
New Market, Tatya Tope Nagar,
Post Box No. 315,
Bhopal (M.P.) Pin- 462 003
Tele: 0755-2674736
Fax N0. 0755-2674718, 2555684

म.प्र. (मुख्या.).....बीमा / 37 / 67
भोपाल, दिनांक .....

M.P. (H.O.).....
BHOPAL, DATE 11/12-04-2016

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,
समस्त (मध्यप्रदेश)

विषयः पूर्व संचालित राष्ट्रीय फसल बीमा योजना एवं नवीन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रमुख अंतर।

उपरोक्त विषयांतर्गत दिनांक 02.04.2016 की वीडियो कांफ्रेसिंग का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त कांफ्रेसिंग में आपको पूर्व संचालित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के स्थान पर 01 अप्रैल 2016 से नवीन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हो रही है, से संबंधित जानकारी के साथ ही नवीन योजना में प्रस्तावित विभिन्न प्रमुख बिन्दुओं पर विस्तृत प्रजेंटेशन भी दिया गया था। कतिपय जिला बैंकों द्वारा पूर्व एवं नवीन योजना की तुलनात्मक जानकारी के प्रेषण की अपेक्षा की गई थी, उक्त संदर्भ में ही यह तुलनात्मक जानकारी संलग्न प्रेषित है।

राज्य शासन द्वारा शीघ्र ही नवीन योजना के क्रियान्वयन हेतु नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, जिसमें योजना संबंधित विस्तृत जानकारी दी जावेगी एवं तद्नुसार ही फसल बीमा की कार्यवाही आपके स्तर पर की जानी होगी।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

–सही–
(रविकांता दुबे)
प्रभारी प्रबंध संचालक

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अंतर

क्र	विवरण	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
1	उद्देश्य	प्राकृतिक आपदाओं,कीट एवं रोगो के कारण किसी भी अधिसूचित फसलों के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज देना। किसानों को कृषि में प्रगतिशील तरीकों,उच्च मूल्य आदानों एवं उच्चतर प्रौद्यिगिकी का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहन देना। विशेषकर आपदा वर्षो में कृषि आय को स्थिर रखना खाद्य फसलों एवं तिलहनों के उत्पादन को समर्थन एवं उसे बढावा देना।	कोई अंतर नही
2	बीमा एजेन्सी	एग्रीकल्चर इंश्योरेस कम्पनी ऑफ इंडिया लि.	एग्रीकल्चर इंश्योरेस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ ही अन्य प्रायवेट बीमा कंपनी भी सम्मलित होगी।
3	योजना की समीक्षा	इस योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसके अन्य सदस्य उप संचालक कृषि,महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक, लीड बैंक अधिकारी एवं एग्रीकल्चर इंश्योरेस कम्पनी ऑफ इडिया लि के प्रतिनिधि है। यह समिति जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की मानीटरिंग करेगी।	जो भी बीमा कंपनी चयनित होगी उसका प्रतिनिधि संविदा के आधार पर रहेगा।
4	बीमित कृषक	कोई भी कृषक जो अधिसूचित फसल की अधिसूचित क्षेत्र में खेती करता है,वह उस फसल का बीमा करवा सकता है। यह योजना ऋणी एवं अऋणी कृषकों के लिये है और जो कृषक अधिसूचित फसल के लिये ऋण लेते है उनके लिये यह योजना अनिवार्य है। अऋणी कृषकों के लिये योजना स्वैच्छिक है।	कोई अंतर नही।
5	बीमित फसलें	अनाज–धान,गेहूँ,मक्का,ज्वार,बाजरा,कोदोकुटकी,दलहनः तुअर एवं चना। तिलहन– सोयाबिन राई सरसों मूंगफली तिल, अलसी–वार्षिक नकदी / वार्षिक बागवानी फसलें–कपास,आलु, प्याज एवं केला	कोई अंतर नही।
6	बीमा की इकाई	मुख्य फसलों के लिये बीमा की इकाई पटवारी हल्का है एवं अन्य फसलों के लिये बीमा की इकाई तहसील है।	मुख्य फसलों के लिये बीमा की इकाई पटवारी हल्का है एवं अन्य फसलों के लिये बीमा की इकाई तहसील है तथा Localized Calamities के लिये खेत इकाई होगी। बशर्ते रकबा 25 प्रतिशत से कम हो।
7	बीमित राशि	बीमित राशि अधिसूचित फसल के लिये किसान द्वारा लिये गये फसल ऋण के बराबर या अधिकतम औसत उपज के 150 प्रतिशत मूल्य तक।	बीमित राशि फसलो के लिये तय स्केल आफ फायनेंस के आधार पर तय।

8	प्रीमियम दरें	खरीफ मे मुख्य फसलों के लिये प्रीमियम दर बीमित राशि का 2.5 प्रतिशत एवं तिलहन फसलों के लिये 3.5 प्रतिशत या वास्तविक प्रीमियम दर जो कम हो लागू होगी। रबी मौसम में गेहूँ के लिये प्रीमियम दर बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत एवं अन्य फसलों के लिये 2 प्रतिशत या वास्तवकि दर जो कम हो,लागू होगी। व्यावसायिक/बगवानी फसलों के लिये वास्ताविक प्रीमियम दर लागू होगी।	इस योजना में किसानों द्वारा देय प्रीमियम समस्त खरीफ फसलों हेतु 2 प्रतिशत एवं समस्त रबी फसलो हेतु 1.5 प्रतिशत एवं नकदी, बागवानी फसलों हेतु 5 प्रतिशत की दर से प्रीमियम कटेगा।
9	क्षतिपूर्ति की गणना	क्षतिपूर्ति की गणना थ्रेशोल्ड उपज से वास्तविक उपज में कमी आने पर की जाती है। थ्रेशोल्ड उपज का अर्थ है वह औसत उपज जिसकी गणना योजना के प्रावधानों के अनुसार गेहूँ और धान के लिये पिछले 3 वर्षो की औसत उपज तथा अन्य फसलों के लिये पिछले 5 वर्षो की औसत उपज पर निर्धारित क्षतिपूर्ति स्तर के आधार पर की जाती है। क्षतिपूर्तिकी गणना निम्न सूत्र से की जाती है। दावा राशि : थ्रेशोल्ड उपज–वास्ताविक उपज ———————————— ' बीमित राशि थ्रेशोल्ड उपज (उपज में कमी : थ्रेशोल्ड उपज–वास्ताविक उपज)	इस योजना में पिछले 7 वर्षो की फसलों के औसत पर गणना होगी जिसमें किन्ही दो वर्षो में यदि राज्य शासन द्वारा अनावरी की घोषणा की गई तो वे वर्ष औसत के लिये कम किये जावेगे। शेष में कोई अंतर नही।
10	दावों का भुगतान	इस योजना में दावों के पात्र कृषकों का भुगतान उन्ही बैकों से प्राप्त होगा,जिन बैकों के माध्यम से उनके फसल बीमा हेतु घोषणा पत्र एवं प्रीमियम राशि भेजी गई थी।	कोई अंतर नही।
11	सर्विस चार्ज	बैकों को संकलित प्रीमियम पर 2.5 प्रतिशत की दर से सर्विस चार्ज प्राप्त होगा।	बैकों को संकलित प्रीमियम पर 4 प्रतिशत की दर से सर्विस चार्ज भी प्राप्त होगा।
12	जोखिम कवरेज	(क) प्राकृतिक रूप से आग लगना और बिजली का गिरना। (ख) तूफान,ओला, चक्रवात, टाइफून, समुद्री तूफान, हरीकेन, टोरनेडो आदि (ग) बाढ जलप्लावन एवं भू–स्खलन (घ) सूखा,शुश्क अवधि (ड) कृमि/रोग आदि	कोई अंतर नही। किन्तु इस योजना में निम्न जोखिम शामिल किये गये। Prevented Sowing/ Planting Risk – कम वर्षा या विपरीत मौसमी प्रभाव होने से फसल की बुआई न होने पर कृषको को प्राप्त होने वाले क्लेम की 25 प्रतिशत राशि अग्रिम प्राप्त होना प्रावधानित । Post-Harvest Losses – विशेष प्राकृतिक आपदाओं यथा तूफान, वर्षा से फसल कटाई के 2 सप्ताह की समयावधि में काटी गई फसल का खराब होना। Localized Calamities – स्थानीय आपदाओं यथा ओला, भूमि धसकना एवं जल भराव स्थितियों के कारण फसलों का खराब होना । On Account Payment – मौसम के मध्य बाढ़, लम्बे समय तक शुष्क मौसम, सूखा होने पर कृषकों को प्राप्त होने वाले क्लेम का 25 प्रतिशत राशि अग्रिम प्राप्त होना प्रावधानित।

13	क्षतिपूति का स्तर	60 से 90 प्रतिशत तक	70 प्रतिशत न्यूनतम, 80 प्रतिशत मध्यम एवं 90 प्रतिशत उच्चतम
14	हानि के आंकलन की प्रक्रिया	फसल कटाई प्रयोग	इस योजना में फसल कटाई प्रयोग के साथ–साथ हानि की गणना हेतु नेशनल रिमोट सेसिंग टेक्नोलाजी के तहत सेटलाईट इमेजेस तथा मोबाईल एप द्वारा खेत की फोटो आदि का उपयोग भी किया जाना प्रस्तावित है।
15	कट आफ डेट्	खरीफ फसलो हेतु 01 अप्रैल से 30 सितम्बर रबी फसलो हेतु 01 अक्टूबर से 31 मार्च तक	खरीफ फसलो हेतु 01 अप्रैल से 16 अगस्त तक रबी फसलो हेतु 15 सितंबर से 15 जनवरी तक
16	प्रीमियम एवं घोषण पत्र बीमा कंपनी को भेजना	खरीफ फसलो (31 अक्टूबर) रबी फसलो (30 अप्रैल)	खरीफ फसल हेतु बीमा कंपनी को प्रीमियम एवं घोषणा पत्र भेजने की अंतिम तिथि ऋणी कृषक के लिये 31 अगस्त एवं अऋणी कृषक के लिये 22 अगस्त। रबी फसल हेतु बीमा कंपनी को प्रीमियम एवं घोषणा पत्र भेजने की अंतिम तिथि ऋणी कृषक के लिये 31 जनवरी एवं अऋणी कृषकों के लिये 22 जनवरी
17	बीमा क्षेत्र	सम्पूर्ण राज्य	राज्य के 51 जिलों को 5 कलस्टर में विभाजित किया गया है।
18	बोने वाली फसलो में बदलाव	जिस फसल पर ऋण स्वीकृत होता है वही फसल बीमित है,बदलाव होने पर बदली फसल का बीमा नही होता है।	फसल बोने के पूर्व बदलाव होने पर 1 माह की अवधि में बीमा कंपनी को सूचना देने पर बीमा मान्य होगा।
19	पोर्टल व्यवस्था	नही	बीमित कृषकों की फसल बीमा से सम्बधित जानकारी कटऑफ डेट् से 15 दिवस में पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।

20	क्लेम की सूचना	निरंक	क्षेत्रीय प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति होने की सूचना दिया जाना अनिवार्य। किसान द्वारा 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को फसल नुकसान की सूचना निर्धारित प्रारूप में टोल फ्री नम्बर पर, टोल फ्री न. उपलब्ध न होने की दशा में उक्त सूचना कृषि विभाग/पेक्स/जिला सहकारी केंद्रीय बैंक/जिला स्तर के अन्य अधिकारी को लिखित में दिया जाना प्रावधानित। उपरोक्त स्थिति में प्रीमियम संकलित करने वाली बैंक संस्था को आपदा की सूचना प्राप्त होने के 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को संबंधित फसल के बीमित होने एवं प्रीमियम के प्रेषण का प्रमाण पत्र जारी किया जाना आवश्यक।
21	बीमा प्रीमियम ऋण	इस योजना अंतर्गत किसानो को बीमा प्रीमियम के भुगतान हेतु ऋण स्वीकृत किया जाता था।	कोई अंतर नहीं
22	दावो के भुगतान की अवधि	दावा प्राप्त होने के 15 दिवस के अंतर किसानों के खातों में राशि जमा करना अनिवार्य है।	बीमा कंपनी से प्राप्त दावा राशि 1 सप्ताह के भीतर किसानों के ऋण खातों में जमा करना होगा। यदि तय अवधि में राशि जमा नही की जाती है तो उक्त अवधि के बाद के समय पर कृषकों को बचत खातें पर देय ब्याज की दर से ब्याज का भुगतान किया जाना प्रावधानित है।
23	अन्य योजना	निरंक	पायलट आधार पर यूनिफाईड पैकेज स्कीम भी प्रदेश के 3 जिलों यथा रतलाम,होशंगाबाद,छिंदवाडा में लागू की जा रही है उक्त योजना अंतर्गत फसल बीमा के साथ – साथ कृषकों को अन्य बीमा कवरेज भी राज्य शासन के निर्णय अनुसार उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें, म.प्र. भोपाल

क्रमांक / साख / एपी / 2016 / 1453 भोपाल, दिनांक 26.5.2016

प्रति,

1. संयुक्त आयुक्त सहकारिता
   संभाग (समस्त) मध्यप्रदेश

2. उप / सहायक आयुक्त सहकारिता
   जिला (समस्त) मध्यप्रदेश

3. मुख्य कार्यपलान अधिकारी
   जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. (समस्त) मध्यप्रदेश।

विषयः प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन राज्य में खरीफ 2016 से प्रारंभ किया जा रहा है। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग मंत्रालय द्वार राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 189 दिनांक 23 अप्रैल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत वर्ष 2016–17 मौसम खरीफ एवं रवी हेतु पटवारी हल्कावार अधिसूचित फसलों की अधिसूचना जारी की गई है जो शासकीय मुद्रणालय की वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से डाउनलोड भी की जा सकती है। जारी अधिसूचना में योजना के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों की अंतिम तिथियां भी घोषित की गई है, जिसे अनुसार खरीफ के लिये ऋण लेने की अवधि एवं अऋणी किसानों के प्रस्ताव प्राप्त होने की अंतिम तिथि 01 मई से 16 अगस्त, किसानों के खातों से कटे प्रीमियम को बीमा कंपनी को जमा करने हेतु ऋणी कृषकों के लिये 15 सितम्बर एवं अऋणी कृषकों के लिये 22 अगस्त, बैंकों से एकजाई घोषणा पत्र प्रस्ताव बीमा कंपनी को प्राप्त होने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर निर्धारित की गई है। यह उल्लेखनीय है कि यह योजना ऋणी कृषकों के लिये अनिवार्य तथा अऋणी कृषकों के लिये एच्छिक हे। अतः योजना अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों की अंतिम निर्धारित तिथि अनुसार कार्यवाहियां नियमित रूप से प्राथमि कृषि साख सहकारी संस्थायें / जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा की जाना है। इसमें किसी प्रकार की चूक होने की दशा में यदि किसान बीमा दावे की राशि से वंचित हो जाता है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा ऐसी हानियों की भरपाई किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः योजना के संबंध में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थायें एवं जिला बैंकों के संबंधित स्टाफ को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाकर योजना का क्रियान्वयन कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।

अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय द्वारा संभागीय बैठकों में यह भी निर्देश दिये

गये हैं कि यदि कोई डिफाल्टर किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसे योजना अंतर्गत अऋणी किसान की प्रक्रिया आवेदनएवं प्रीमियम राशि प्राप्त कर उसे फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाये।

–सही–
(जे.पी. गुप्ता)
अपर आयुक्त सहकारिता
मध्यप्रदेश

क्रमांक / साख / एपी / 2016 / 1453 भोपाल, दिनांक 26.5.2016

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त संभाग (समस्त) मध्यप्रदेश।
5. कलेक्टर जिला (समस्त) मध्यप्रदेश।
6. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

–सही–
(जे.पी. गुप्ता)
अपर आयुक्त सहकारिता
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित
प्रधान कार्यालयः
न्यू मार्केट, तात्या टोपे नगर,
पोस्ट बॉक्स नम्बर–315,
भोपाल (म.प्र.) पिन–462003
टेलीफोनः 0755–2674736
फैक्सः 0755–2674718, 2555684

सशक्त सहकारिता; समृद्ध मध्यप्रदेश
अपेक्स बैंक

M.P. Rajya Sahakari Bank Mydt.
Head Office:
New Market, Tatya Tope Nagar,
Post Box No. 315,
Bhopal (M.P.) Pin- 462 003
Tele: 0755-2674736
Fax N0. 0755-2674718, 2555684

म.प्र. (मुख्या.).....
भोपाल, दिनांक .....बीमा/37 1394

M.P. (H.O.).....
BHOPAL, DATE 14-06-2016

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,
समस्त (मध्यप्रदेश)

विषयः प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु समिति स्तर पर प्रमुख जानकारियां फ्लेक्स के माध्यम से प्रदर्शित करने बाबत्।

विषयांतर्गत अवगत ही है राष्ट्रीय फसल बीमा योजन में कई प्रमुख परिवर्तन कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दिनांक 1 अप्रैल 2016 से प्रदेश में लागू की गई है। योजना में आये प्रमुख परिवर्तनों की जानकारी किसानों को दिया जाना आवश्यक है। अतः संलग्न प्रारूप में फ्लेक्स बनाकर समिति स्तर पर प्रदर्शित करावें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

–सही–
(आर.एस. चन्देल)
सहायक महाप्रबंधक

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (फ्लेक्स–1)

क्र.	मद	खरीफ	रबी	उद्यानिकी
1	प्रीमियम	2 प्रतिशत	1.5 प्रतिशत	5 प्रतिशत
2	बीमा अवधि	1 अप्रैल से 16 अगस्त	16 सितम्बर से 15 जनवरी	
3	ऋणी कृषक	बीमा अनिवार्य	बीमा अनिवार्य	बीमा अनिवार्य
4	ऋणी कृषक हेतु बैंकों से घोषणा पत्र/प्रस्ताव/ प्रीमियम बीमा कंपनी को प्राप्त होने की अंतिम तिथि	31 अगस्त	31 जनवरी	
5	अऋणी कृषक हेतु बैंकों से घोषणा पत्र/प्रस्ताव/प्रीमियम कंपनी को प्राप्त होने की अंतिम तिथि	22 अगस्त	22 जनवरी	
6	अऋणी कृषक	वैकल्पिक	वैकल्पिक	वैकल्पिक
7	अऋणी के बीमा हेतु लिये जाने वाले दस्तावेज	(1) भूअधिकारी पुस्तिका (2) सक्षम अधिकारी द्वारा बुवाई प्रमाण पत्र (3) पहचान पत्र	(1) भूअधिकारी पुस्तिका (2) सक्षम अधिकारी द्वारा बुवाई प्रमाण पत्र (3) पहचान पत्र	(1) भूअधिकारी पुस्तिका (2) सक्षम अधिकारी द्वारा बुवाई प्रमाण पत्र (3) पहचान पत्र
8	बीमा कंपनी का नाम			
9	बीमा कंपनी के प्रतिनिधि का नाम एवं सम्पर्क नं.			

नोटः बीमा प्रीमियम राशि एक मुश्त काटी जावेगी जो स्केल ऑफ फायनेंस के आधार पर होगी।

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क करे–

समिति प्रबंधक का नाम.....

मो. नं. .....

शाखा प्रबंधक का नाम .....

मो. नं. .....

प्रधानमंत्री फसल बीमा

खरीफ 2016 **(फ्लेक्स–2)**

क्र	अधिसूचित फसलों का नाम	ऋणमान अनुसार प्रति हेक्टेयर बीमित राशि	प्रति हेक्टेयर देय प्रीमियम राशि

AGRICULTURE INSURENACE COMPANY LIMITED
PRADHAN MANTRI FASAL BIMA YOJNA (PMFBY)
DECLARATION FORM- LOANEE FARMERS

To,
A/c of India Ltd.
Kwality Globus, 1st Floor, Opp. RBI,
NH-12, Hoshangabad Road, Maida Mill
Tele: 0755-4026101-02-03 & Telefax: 0755-4026104
E-mail: ro.bhopal@aicofindia.com

From (Nodal Bank).....
Address.....
Ph. No. .....
A/c No. .....
IFS Code .....
Fax No. .....
E-mail: .....

It is certified i) that no crop loans eligible for coverage are left cut by us/the bank branches/ PACS under our jurisdiction (strike off option not applicable), ii) that all kisan Credit Card loans sanctioned / renewed and eligible for coverage are also included, and iii) that all guideline with regard to crop loans, issued by RBI/ NABARD from time to time have been followed.

Dated at .....this.....day of.....year .....

Name of Signatory:
Designation:

Signature
Seal of Authorised Signatory of Nodal Bank

SCHEDULE

Declaration No. (To be alloted by Bank
Gender (v): Male/Female/Other

State: Madhya Pradesh Sesson: .....Year: .....Crop: .....

District.....Tehsil:.....Revenue Cricle: .....Patwari Halka No. ..... Name of Patwari Headquarters.....

Farmer's Premium Rate:

Category of farmer	No. of Farmers	Area Isured (Ha)	Scale of Finance (RS/Ha)	Sum Insured (Rs)=Area x Scale of Finance	Farmers Premium (Rs)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)	(6)
Small & Marginal					
Other					
Total					

DD/RTGS/NEFT NO. DD/RTGS/NEFT DATE DD/RTGS/NEFT AMOUNT

TO BE COMPLETED BY AIC REGIONAL OFFICE

CERTIFICATE NO.															

RECEIPT NO. | | | | | | | DATE RECEIVED | | | | | | |

NOTE: GUIDELINES FOR FILLING UP THE DECLARATIONS OVERLEAF

GUIDELINES FOR FILLING UP THE DECLRATION

1. This Declration format should be used only for loanee farmers.
2. Separate Declaration must be filled in for each crop and each notified area.
3. Only one copy of the Declartion must be submitted to AICL within the prescribed cut-off date (acopy may be retained by the bank for their record).
4. Complete address of Bank along with the Telephone / Fax number / E-mail must be given to faciliate further communication, whenever necessary.
5. Care should be taken to declare only such loans for crop insurance coverage which are strictly as per the provisions/ conditions and seasonality discipline of the Scheme and the notification by the SLCCCI.
6. Whenever any clarification in respect of declaration submitted by Bank is sought from AICL, RO, BHOPAL the same must be submitted within two weeks of AICL's letter and no clarification will be entertained by AICL, RO, Bhopal thereafter for any purpose whatsover including reopening of claims.
7. Premium D.D. should be in favour of "Agriculture Insurance Company of India Ltd." Axis Bank A/c No. 044010200007900 payable at BHOPAL round off the amount of premium to the nearest rupee.
8. Details of individual farmers must be enclosed/ sent in soft copy.
9. Bank will be held liable for making good any losses/ claims arising out of any error of mission or commission by the banks
10. In case of any Grievance please contact the Grievance Redressal Officer of the Regional Officer Phone No. 0755-4026112 or log on to: http://www.aicofindia.com/AICEng/Pages/Grivance_Home.aspx
11. Specific guidelines for filling in the Schedule:
    a) Care should be taken to specify the correct NOTIFIED AREA and CROP in each declaration. Any changes/ Corrections in notified area/ crop should be intimated at least 30 days before cut- off date. No subsequent request will be entertained by AICL.
    b) Sub insured for individual farmer will equal to crop loan sanctioned for the notified crop in the notified area.
    c) Only the farmer's premium is to be calculated in the following manner: Sum Insured *Farmers' premium rate.
    d) Duplication in reporting numbers of farmers/ area covered must be avoided in the subsequent Declration.
    e) The declration along with premium must be sent to AIC within stipulated cut-off date mentioned in the notification.

For any change in the information furnished in this declartion, revised declaration, revised declaration must be submitted, giving reference to original declaration.

AGRICULTURE INSURENACE COMPANY LIMITED
PRADHAN MANTRI FASAL BIMA YOJNA (PMFBY)
DECLARATION FORM- NON LOANEE FARMERS

To,
A/c of India Ltd.
Kwality Globus, 1st Floor, Opp. RBI,
NH-12, Hoshangabad Road, Maida Mill
Tele: 0755-4026101-02-03 & Telefax: 0755-4026104
E-mail: ro.bhopal@aicofindia.com

From (Nodal Bank).....
Address.....
Ph. No. .....
A/c No. .....
IFS Code .....
Fax No. .....
E-mail: .....

1. Under the provisions of the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY), we hereby declare the aggreegate amount of Sum insured, for the proposals received tin the month of ..... (by us/by branches/ PACS under the jurisdiction of our office) as per the schedule below.
2. It is certified i) that all proposals submitted to the bank branches/ PACS under our jurisdiction are covered ii) that all duidelines with regard to PMFBY issued by the GOI/ State Govt. Notification/ RBI/NABARD/AIC from time to time have been followed.

Dated at .....this.....day of.....year .....
Name of Signatory:
Designation:

Signature
Seal of Authorised Signatory of Nodal Bank

SCHEDULE

Declaration No. (To be alloted by Bank
Gender (v): Male/Female/Other
Category (V): SC/ST/Other/Gen

State: Madhya Pradesh Sesson: .....Year: .....Crop: .....

District.....Tehsil:.....Revenue Cricle: .....Patwari Halka No. ..... Name of Patwari Headquarters.....

Farmer's Premium Rate:

Category of farmer	No. of Farmers	Area Isured (Ha)	Scale of Finance (RS/Ha)	Sum Insured (Rs)=Area x Scale of Finance	Farmers Premium (Rs)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)	(6)
Small & Marginal					
Other					
Total					

DD/RTGS/NEFT NO. DD/RTGS/NEFT DATE DD/RTGS/NEFT AMOUNT

TO BE COMPLETED BY AIC REGIONAL OFFICE

CERTIFICATE NO.															

RECEIPT NO. | | | | | | | DATE RECEIVED | | | | | | |

NOTE: GUIDELINES FOR FILLING UP THE DECLARATIONS OVERLEAF

GUIDELINES FOR FILLING UP THE DECLRATION

1. This Declration format should be used only for loanee farmers.
2. Separate Declaration must be filled in for each crop and each notified area.
3. Only one copy of the Declartion must be submitted to AICL within the prescribed cut-off date (acopy may be retained by the bank for their record).
4. Complete address of Bank along with the Telephone / Fax number / E-mail must be given to faciliate further communication, whenever necessary.
5. Care should be taken to declare only such loans for crop insurance coverage which are strictly as per the provisions/ conditions and seasonality discipline of the Scheme and the notification by the SLCCCI.
6. Whenever any clarification in respect of declaration submitted by Bank is sought from AICL, RO, BHOPAL the same must be submitted within two weeks of AICL's letter and no clarification will be entertained by AICL, RO, Bhopal thereafter for any purpose whatsover including reopening of claims.
7. Premium D.D. should be in favour of "Agriculture Insurance Company of India Ltd." Axis Bank A/c No. 044010200007900 payable at BHOPAL round off the amount of premium to the nearest rupee.
8. Details of individual farmers must be enclosed/ sent in soft copy.
9. Bank will be held liable for making good any losses/ claims arising out of any error of mission or commission by the banks
10. In case of any Grievance please contact the Grievance Redressal Officer of the Regional Officer Phone No. 0755-4026112 or log on to: http://www.aicofindia.com/AICEng/Pages/Grivance_Home.aspx
11. Specific guidelines for filling in the Schedule:
    a) Care should be taken to specify the correct NOTIFIED AREA and CROP in each declaration. Any changes/ Corrections in notified area/ crop should be intimated at least 30 days before cut- off date. No subsequent request will be entertained by AICL.
    b) Sub insured for individual farmer will equal to crop loan sanctioned for the notified crop in the notified area.
    c) Only the farmer's premium is to be calculated in the following manner: Sum Insured *Farmers' premium rate.
    d) Duplication in reporting numbers of farmers/ area covered must be avoided in the subsequent Declration.
    e) The declration along with premium must be sent to AIC within stipulated cut-off date mentioned in the notification.

For any change in the information furnished in this declartion, revised declaration, revised declaration must be submitted, giving reference to original declaration.

एग्रीकलचर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय–13 वां तल, अम्बदीप बिल्डिंग, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली 110001 www.aicofindia.com
क्षेत्रीय कार्यालयः क्वालिटी ग्लोबल, प्रथमतल, मैदामिल के पास, होशंगाबाद रोड, भोपाल 462011

गैर ऋणी किसान के लिए पंजीकरण प्रपत्र

(* मार्क वाले फील्ड अनिवार्य हैं।)

व्यक्तिगत विवरण			
टाइटिल	श्री/श्रीमती/सुश्री	पहचान पत्र के प्रकार*	
पहला नाम*:		पहचान पत्र की संख्याः	
मध्य नाम*:		लिंग	
अंतिम नाम*:			
पिता/पति का नाम		किसान वर्गीकरण	ग्राम/शहर/निर्दिष्ट नहीं
जन्म की तिथि (दिनांक/महीना/वर्ष)		किसान श्रेणी व्यवसाय/व्यापार	कोटे/सीमांत/अन्य
			किसान श्रेणी*:
फोटो/सीमांत/अन्य			
किसान का धर्म	हिन्दी/मस्लिम/सिख/ईसाई/अन्य	किसान समुदाय*:	सामान्य/ओबीसी/एससी/एसटी/निर्दिष्ट नहीं
संपर्क विवरण			
पता पंक्ति 1*		फोन नं (कार्य)	
पता पंक्ति नं 2		फोन नं. (मोबाईल)*	
डाकघर		(उपलब्ध नहीं है तो "000000000000" लिखे)	
शहर/गांव*			
ब्लॉक/मंडल/तालुका/तहसील		फैक्स संख्या	
जिला*		ईमेल 1	
राज्य*		ईमेल 2	
पिन कोड*			
भू–स्वामित्व विवरण			
प्रथम खसरा संख्या		द्वितीय खसरा संख्या	
भूमि की सीमा (हेक्टेयर)*		भूमि की सीमा (हेक्टेयर)*	
शहर/गांव*		शहर/गांव*	
ब्लॉक/मंडल/तालुका/तहसील		ब्लॉक/मंडल/तालुका/तहसील	
जिला*		जिला*	
राज्य*		राज्य*	
पिन कोड*		पिन कोड*	
बैंक विवरण (बैंक विवरण प्रदान नही करने की स्थिति में, खाते में दावों का क्रेडिट संभव नहीं है)			
खाता धारक का नाम*		Bank Name*	
शाखा का नाम*		आईएफएस कोड*	
शाखा का पता*		(उपलब्ध नहीं है तो "000000000000" लिखे)	
खाते का प्रकार*		खाता संख्या*	
बैंक फोन नं.*			
नामांकित विवरण (बीमा पॉलिसी के लिए)			
टाइटिल	श्री/श्रीमती/ सुश्री		
नामांकित पहला नाम		नामांकित मध्य नाम	
पक्ष के साथ संबंध		नामांकित अन्तिम नाम	
मुफ्त एसएमएस सदस्यता			
आप एसएमएस अलर्ट के द्वारा सदस्यता चाहते हैं	☐ हाँ ☐ नहीं	नए कारोबार की सदस्यता लें	
दावा की सूचना के लिए सदस्यता लें	☐ हाँ ☐ नहीं	अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं के लिए सदस्यता लें	

मैं प्रमाणित करत हूं कि ऊपर दिये गया विवरण मेरे जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

स्थानः

तारीखः

गवाहः एजेंट का नाम और आईडी किसान के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(अंगूठे का निशान के मामले में)

निर्देशः

निम्नलिखित दस्तावेज को संलग्न किया जा रहा है
पहचान ओर पते के प्रमाण
भूमि रिकार्ड की प्रतिलिपि
चेक बुक/ बैंक पास बुक की प्रति

फार्मः पीएएमएफबीवाई–पिएफ–02

एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

क्षेत्रीय कार्यालयः क्वालिटी ग्लोबस, रिजर्व बैंक के सामने, एन.एच.12, होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

गैर ऋणी किसान के लिए प्रस्ताव प्रपत्र– बैंक के द्वारा

मौसम .....वर्षः.....

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

बीमायोग्य भूमि दस्तावेज की प्रतिः
(भू–अधिकार एवं ऋण पुस्तका/भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र/भू–राजस्व रसीद /पट्टा/संविदा/अधिसूचना के अनुसार अन्य दस्तावेज)
कृपया एक गांव में जिन फसलों का आप बीमा करना चाहते है उनका विवरण इस प्रपत्र में भरें

बैंक का नामः
शाखा का पताः
फोन नंबरः
ई–मेल :

1. किसान ब्यौराः

क्या आप एआईसी पंजीकृत किसान है यदि हाँ, तो नीचे दिए गए बॉक्स में किसान आईडी संख्या लिखे और यदि नहीं तो किसान पंजीकरण फार्म भरे	हाँ/नहीं
नामः श्री/सुश्री मोबाईल/फोन नंबर	किसान आईडी संख्या

2. अधिसूचना क्षेत्र का विवरण (L4-L7 लेबल राज्य में प्रचलित नामकरण के अनुसार भरे जाने):

राज्य	जिला	तहसील	राजस्व निरीक्षक का मण्डल	पटवारी हल्का नं./पटवारी मुख्यालय का नाम	
एल 2	एल 3	एल 4	एल 5	एल 6	

2. बीमा के लिए प्रस्तावित फसल और क्षेत्र का विवरणः

ब्लॉक/तहसील/होब्ली	ग्राम	खसरा संख्या	क्या आप खसरा संख्या के अनुसार आप मालिक/बंटाईवार/पट्टेदार है।	फसल	प्रस्तावित तिथि/फसल बुवाई की वास्तविक तिथि	रोपित क्षेत्र हेक्टेयर में	अन्य रोपित फसल

मैं एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि प्रस्ताव प्रपत्र सहित किसान पंजीकरण प्रपत्र को पूरा करने से पहले मैंने इस योजना के सभी प्रावधानों को अपनी भाषा में भलीभांती पढ़ एवं समझ लिया है। मै पुनः यह घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा भरे गए सभी ब्यौरे सत्य एवं सही है। मैंने सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी दे दी है। इसके अलावा, मैं यह घोषणा करता हूँ कि फसल में परिवर्तन होने पर बीमा कंपनी को सूचित करूँगा और प्रीमियम में कोइ अंतर जो देय होगा उसका भुगतान करूँगा।

मैंने इस मौसम के दौरान उपरोक्त सर्वेक्षण/खसरा पर बोई गई उल्लेखित फसल के लिए इस बैंक शाखा/ सहकारी समिति या बीमा मध्यस्थ या फिर किसी अन्य बैंक शाखा/पैक्स या अन्य बीमा कंपनी को फसल बीमा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। मैं घोषणा करता हूँ कि योजना में उल्लेखित जोखिम स्थानीय आपदा/फसल कटाई के बाद हुए नुकसान के मामले में 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को सूचित करूंगा। मैं घोषणा करता हूँ कि बीमा कंपनी और इसके नुकसान मूल्यांकनकर्ताओं की हर तरीके से सहायता करूंगा। मैं समझता हूँ कि प्रतिबंधित बुवाई के तहत दावे का भुगतान पॉलिसी को रद्द कर देगा और आगे कोई दावे का भुगतान नहीं किया जाएगा।

स्थानः

दिनांकः

हस्ताक्षर/प्रस्तावक के अंगूठे का निशान

गवाह (अंगूठे का निशान के लिए)

बीमा आग्रह की विषय वस्तु है

——————————(बैंक द्वारा उपयोग के लिए)——————————

अधिसूचित क्षेत्र	फसल	बीमित क्षेत्र (हेक्टेर)	बीमा राशि (₹)	किसान प्रीमियम दर (%)	किसानों का प्रीमियम (₹)	प्रीमियम को भेजने का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)Xअनुमोदित ऋणमान	(1)	**(6)=(4)X(5)**	डी डी / चैक संख्या
						दिनांक
						नाम आहरित (बैंक का नाम)
कुल						डेबिट की तारीख

छूट में निवेश बीमा अधिनियम की धारा 41 निम्नानुसार प्रदान करती है।

1. कोई भी व्यक्ति भारत में जान/संपत्ति का बीमा कराने/जारी रखने/पुनः चालू करने की इच्छा से प्रलोभन हेतु देय कमीशन में पूर्ण/आंशिक छूट अथवा पॉलिसी के लिए प्रीमियम में छूट का प्रस्ताव नही रखेगा तथा कोई व्यक्ति बीमा करने वाले की षारिणी अथवा प्रकाशित विवरण पत्रिका के अनुसार दिये गए छूट के अतिरिक्त कोई भी छूट स्वीकार नहीं करेगा।

2. इस अनुच्छेद का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को जुर्माने के साथ दंड दिया जाएगा तथा जुर्माने की राशि को 500 रूपयों तक बढ़ाया जा सकता है।

प्रपत्र को पूरा करने के लिए दिशा–निर्देश

1. एक खसरे में अधिसूचित किए जाने वाली प्रस्तावित सभी फसलों के लिए केवल एक प्रस्ताव प्रपत्र भरे जाना है।
2. सभी दृष्टिकोण से प्रस्ताव प्रपत्र को पूरा भरे। प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र में हस्ताक्षर होने चाहिए और ऊपर उल्लेखित सभी दस्तावेजों को संलग्न करें।
3. बीमा परम विश्वास का अनुबंध है इसलिये बीमित व्यक्ति को सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट करना चाहिए तथा किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना नही चाहिए। यदि आपको लगता है कि कोई तथ्य महत्वपूर्ण है तो कृपया उसको प्रकट करें
4. प्रस्तावक या उसकी तरफ से किसी भी महत्वपूर्ण विवरण में प्रस्तावक प्रपत्र/ व्यक्तिगत बयान, घोषणा और साथ जुड़े दस्तावेजों या किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, किसी असत्य या झूठे बयान, मिथ्या प्रस्तुति, गैर विवरण या गैर प्रकटीकरण की स्थिति में बीमित व्यक्ति का बीमा निरस्त कर दिया जाएगा।

कृपया प्रस्ताव प्रपत्र पर कोई संदेह या स्पष्टीकरण के लिए एआईसी के कार्यालयों या उसके अधिकृत एजेंटों से संपर्क करे।

नोटः एआईसी का दायित्व तब तक शुरू नही होता जब तक इस प्रस्ताव पत्र को एआईसी द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो और प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया हो। विस्तृत नियम और शर्ते पावती के पीछे मुद्रित है।

बीमा आग्रह की विषय वस्तु है

पावती
(पीएमएफबीवाई)

दिनांक.....

श्री / श्रीमती.....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ..... राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश ..... जिला ..... ब्लाक / तहसील / तालुका / राजस्व अंचल .... के कृषक हैं। इनके प्रीमियम के रूप में, किसान हिस्सेदारी में रूपया ..... (रूपये शब्दों में ..... मात्र) बैंक खाता संख्या ..... बैंक ..... की शाखा ..... में प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अधीन वर्ष ..... मौसम .... में ..... फसल ..... के अच्छादन के लिए कुल बीमित राशि ..... प्राप्त हुई।

वाया नकद / चेक / डी डी संख्या ..... दिनांक ..... चैक आहरित की गई।

बैंक का नामः पताः

भविष्य में उपयोग के लिए इस पावती को सुरक्षित रखें (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

नियम एवं शर्तें (पावती के पीछे मुद्रित करने के लिए)

1. पीएमएफबीवाई के अंतर्गत अच्छादन कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्मित परिचालन दिशानिर्देशों और राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक मौसम में जारी अधिसूचना के अनुसार सख्ती से होगा।
2. प्रस्तावक एक मौसम के लिए केवल एक ही प्रस्ताव फार्म जमा करेगा।
3. प्रस्तावक सभी तथ्यों का खुलासा करेगा कोई विसंगति का बाद में पता चलने पर बीमा कवर रद्द और प्रीमियम जब्त की जा सकती है। इस उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों में शामिल होंगे बीमित फसल बीमित मौसम, अधिसूचित बीमित क्षेत्र और बीमा हित लेकिन इन तथ्यों की प्रासंगिकता तक ही सीमित नहीं होंगे।
4. बीमा कंपनी इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार रखती है यदि प्रपत्र पर हस्ताक्षर नहीं है/ पूरी तरह से भरा नही है। बीमा हित के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज संलग्न या किसान प्रीमियम की हिस्सेदारी का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया।
5. बीमा अच्छादन को रद्द किया जा सकता है यदि किसी भी समय यह पाया गया किः
   क) किसान ने अपने जमीन से अधिक क्षेत्र का बीमा कराया है।
   ख) खसरा संख्या में एक ही जमीन पर विभिन्न बैंकों/शाखाओं/ सोसायटी से ऋणी के साथ–साथ गैर– ऋणी किसान के रूप में बीमा लिया है या अधिसूचित/ बीमित फसल की तुलना में कोई अन्य फसल की बुवाई की गई हो।
   बिना किसी जाँच के अधिकार के पूर्वाधारना के उपरोक्त मामलों में प्रीमियम वापस नहीं किया जाएगा। जाँच के परिणाम के अनुसार ही बीमा का जोखिम लागत और अच्छादान में बदलाव किया जाएगा।
6. प्रस्तावक फसल, बुवाई क्षेत्र की सीमा, बैंक खाते और बीमा हित में किसी भी परिवर्तन की स्थिति में बीमा कंपनी को एक सप्ताह के भीतर सूचित करेगा अन्यथा बिंदू 3 का पालन करेंगे।
7. यदि बीमित क्षेत्र बुवाई की तुलना में अधिक है तो बीमा कंपनी के पास खुद या दूसरों के माध्यम से जाँच करके दावे को उसी अनुपात में कम करने का अधिकार होगा। प्रस्तावक इस योजना में उल्लेखित नुसान स्थानीय आपदा/ फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान के मामले में घटना के 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को सूचित करने का वचन देता है।
8. प्रस्तावक बीमा कंपनी और नुकसान मूल्यांकनकर्ताओं की हर प्रकार से सहायता के लिए भी उत्तरदायी है।
9. बाधित बुवाई के तहत दावे के भुगतान के बाद पॉलिसी को रद्द मान्य होंगे और आगे किसी भी प्रकार के दावे का भुगतान नहीं किया जाएगा।
10. दावे (यदि कोई हो) के समय यदि जरूरी हो तो बीमित व्यक्ति को पहचान पत्र. एवं पते का प्रमाण जमा करने की आवश्यकता हो सकती है।
11. प्रस्तावक दावे के भुगतान से पहले चुकौती प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का वचन देता है।
12. किसी भी तरह की शिकायत हेतु हमारे कार्यालय के शिकायत निवारण अधिकारी से टेलीफोन नं. 0755–4026112 पर संपर्क करें।

खाता संख्या में बदलाव के लिए आवेदन

(कृपया एक रद्द चेक या पासबुक की प्रति जिसमें नया खाता संख्या लिखा हो, इस आवेदन के साथ संलग्न करें)

सेवा में
क्षेत्रीय प्रबंधक
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

कृपया अपने डेटाबेस में मेरे खाते का विवरण बदले ; मेरा विवरण इस प्रकार हैः–

किसान/ग्राहक पहचान संख्याः .....
किसान का नामः .....
पिता/पति का नामः .....
पता : .....
जिला : .....
राज्य : .....
पिन कोडः ..... फोन/मोबाईल .....

पुराने बैंक का विवरणः		नए बैंक का विवरणः	
खाता संख्याः	.....	खाता संख्या	.....
बैंक का नाम :	.....	बैंक का नाम :	.....
शाखा का पता :	.....	शाखा का पता :	.....
आईएफएस :	.....	आईएफएस :	.....

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि फार्म में दिए गए सभी विवरण मेरी जानकारी में सही है।
मैं फार्म भरने पर मेरे हिस्से से की गयी किसी सूचना को छिपाने अथवा असत्य या मिथ्या प्रस्तुति के वजह से हुए नुकसान के लिए बीमा कंपनी की क्षतिपूर्ति का वचन देता हूँ।

स्थान .....
दिनांकः हस्ताक्षर
यह अनुरोध फार्म एक फोटो पहचान पत्र (मतदाता पहचान/पैन कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/पासपोर्ट) के साथ जमा किया जाना है

एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

क्षेत्रीय कार्यालयः क्वालिटी ग्लोबस, रिजर्व बैंक के सामने, एन.एच.12, होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.)

दूरभाषः 0755–4028101–02–03 टेलीफैक्सः 0755–4026104 ई–मेलः ro.bhopal@aicofindia.com

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)–सूचना–सह–दावा प्रपत्र

इस फॉर्म का जारी किया जाना दायित्व की स्वीकारोक्ति नही है। कृपया सभी सवालों का सावधानी से जवाब दे।

बीमाधारक का विवरण			
1. बीमित किसान का नाम (श्री/श्रीमती)		2. बीमा धारक के पिता/पति का नाम (श्री)	
3. पत्राचार के लिए पता			
4. टेलीफोन/मोबाईल संख्या		5. ईमेल आईडी	

फसल बीमा का विवरण

योजना	**पीएम एफ बीवाई**	**फसल मौसम**		**फसल वर्श**	
1. यदि बैंक शाखा से बीमा कराया होः 1. ऋणी ☐ 2. गैर–ऋणी ☐ (उपायुक्त पर चिन्हित करें)					
(क). खाता संख्या		(ख). बैंक और शाखा का नाम			
(ग) प्रीमियम राशि		(घ). प्रीमियम कटौती/प्राप्त होने की तारीख			
2. यदि अन्य माध्यम/मध्यस्थों (दलाल/जिपसा/प्रत्यक्ष) रूप से बीमा कराया हो					
(a). मध्यस्थ का नाम		(b) किसान पहचान/प्रस्ताव/कवर/ नोट संख्या			

कुपया नुकसान के कारण हुई घटना की तारीख का उल्लेख करें।

नुकसान के कारण	घटना की तारीख
चक्रवात (फसल उपरांत)	
चक्रवाती बारिश (फसल उपरांत)	
बेमौसमी बारिश (फसल उपरांत)	
भूस्खलन (स्थानीय)	
ओला–वृष्टि (स्थानीय)	
जलभराव (स्थानीय)	

खेत का पता जहाँ नुकसान हुआ					
जिला	तहसील	राजस्व	सर्किल	पटवारी हल्का नं.	गाँव का नाम

बीमित फसल का विवरण जहाँ नुकसान हुआ						
	खसरा संख्या	फसल	रोपित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	बीमित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अनुमानित प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अनुमानित नुकसान का प्रतिशत
1						
2						
3						

अन्य बीमा का विवरण

क्या उपरोक्त उल्लिखित फसल के लिए कोई अन्य बीमा भी कराया है?	हाँ/नहीं
बीमा कंपनी का नाम	
बीमा संख्या	
बीमित राशि (रूपये)	
बीमित क्षेत्र (हेक्टेयर)	

मैं उपरोक्त नामित पीएमएफबीवाई के तहत बीमित किसान यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त चिन्हित घटना दिनांक ..... समय लगभग ..... पूर्वाहन/अपराहन में उपरोक्त उल्लेखित खेत में घटित हुआ, जिसकी वजह से बीमित ..... फसल को नुकसान हुआ। इसके अलावा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक सर्वेक्षण का काम पूरा न हो जाए तब तक प्रभावित फसल/उपज के किसी भी हिस्से को अलग नही करूंगा या प्रभावित फसल/ उपज के आकार में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करूँगा। मेरे खेतों का सर्वेक्षण करने की व्यवस्था करें। मैं दावा प्रपत्र के साथ भू– अभिलेख/पट्टेदार/ बटाईदार समझौता का प्रमाण एवं अच्छादन नोट/ प्रीमियम रसीद जो भी लागू हो की प्रति इस दावा प्रपत्र के साथ संलग्न करूँगा।

दिनांकः हस्ताक्षर/किसान के अंगूठे का निशान

बैंक/मध्यस्थों के लिएः

यह प्रमाणित किया जाता है कि उल्लेखित फसल बीमा के उपरोक्त उल्लेखित विवरण हमारे रिकार्ड के अनुसार सही है और प्रासंगिक अधिसूचना के आधार पर उसका प्रीमियम एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को पहले से भेज दिया गया है।

दिनांकः

बैंक/मध्यस्थ द्वारा जारी
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर एवं मुहर
नामः
पदः

नोटः कृपया इस फार्म को विधिवत भरकर हमारे पास उपरोक्त फैक्स नंबर/ ईमेल या सर्वेक्षक के पास जमा करें।

Farmer Details under PMFBY (to be provided in soft copy)

State District Season Year Bank Branch

Name of Farmer	Father's Name	Block/ Taluka	Gram Panchayat	Village	Gender	Catatory of farmer's (SM/ Others)	Community (SC/ST/ GEN)	Type of farmer (loanee/ non loanee)	Crop Insured	Area Insured (Ha)	Sum Insured (Rs.)	Premium Collected (Rs.)	Premium remitted (Rs.)	Bank Account No.	Bank Declaration/ refrence no under wich premium aount submitted	Mobile No.
Sub- Total at NFA level																
Grand Total																

*The information should be provided at Notified area level l.e. District/ Block/Gram Panchayat/ Village level with sub-totals.

*Information provided in this form by the ank on every aspect i.e. type/category/gender/community wise no. of farmers, area insured, sub insured, premium collected must match/tally with notified area wise/ crop wise declarations/ information furnishe through any mode i.e. offline/ online for the seasor year.

declaration wise premium remitted by the bank must tally with "Total Premium Collected" column here

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विवरण भरने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर तैयार पोर्टल। इस हेतु वेबसाईट– agri-insurance.gov.in का उपयोग करे। इसमें निम्न जानकारी भरी जाना है।

Farmer **State** **Company** **Bank**

New Application Modify Application Print Application

❖Personal Details

Name Father/ Husband Mobile

Age Gender Category

Aadhar Number ID Proof

❖Category of Farmer

Type of Farmer Loanee/ Non Loanee Nature of Farmer

❖Address of Farmer

State District Sub District

Village Town Address Details

❖Bank Details

Bank Branch

Account Type Bank A/C No.

Nominee Details

Name Age Relationship

Address

Insurance Unit

Year Season Scheme

State District Sub District

Land and Crop Details

S.No.	Revenue Village	Survey No./ Plot No.	Crop	Insured Area (in heetere)	Sowing Date	Crop Sown Certificate
						Browse
	Add New crop					

Land Records Browse

Cancelled cheque book/ passbook Browse

Address proof Browse

Photograph of applicant Browse

* Govt. ID Proof, Residence Proof, Certified copies of Khasra/Khata no. (Sown Area records) Cancelled Cheque (for Banking Details)

SAVE CANCEL

नोटः अभी पोर्टल को अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है बैंक की लॉग–इन आई.डी. भी शीघ्र प्राप्त होगी।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित
प्रधान कार्यालयः
न्यू मार्केट, तात्या टोपे नगर,
पोस्ट बॉक्स नम्बर–315,
भोपाल (म.प्र.) पिन–462003
टेलीफोनः 0755–2674736
फैक्सः 0755–2674718, 2555684

सशक्त सहकारिता; समृद्ध मध्यप्रदेश
अपेक्स बैंक

M.P. Rajya Sahakari Bank Mydt.
Head Office:
New Market, Tatya Tope Nagar,
Post Box No. 315,
Bhopal (M.P.) Pin- 462 003
Tele: 0755-2674736
Fax N0. 0755-2674718, 2555684

म.प्र. (मुख्या.).....
भोपाल, दिनांक .....बीमा / 37 / 645

M.P. (H.O.).....
BHOPAL, DATE 17-06-2016

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,
समस्त (मध्यप्रदेश)

विषयः प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कृषकों के खातो से काटे गये प्रीमियम की रसीद प्रदाय करते बाबत्।

विषयांतर्गत विभिन्न जिलों के किसानों द्वारा कलेक्टर जनसुनवाई, नाबार्ड एवं संस्थागत वित्त में शिकायत की गई है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों से संबंद्ध प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा ऋणी कृषकों द्वारा अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसलों हेतु लिये गये ऋण का फसल बीमा करवाया जा रहा है, जिसके बीमा प्रीमियम की रसीद कृषकों को प्रदाय नहीं की जा रही है।

अतः निर्देशित है कि किसानों के खातों से काटे गये बीमा प्रीमियम की रसीद दिया जाना सुनिश्चित करे।

–सही–
(प्रदीप नीखरा)
प्रभारी प्रबंध संचालक

क्रमांक / म.प्र. / मुख्या / बीमा / 37 / 645 अ
वही दिनांक .....

प्रतिलिपि–

1. आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें विंध्याचल भवन भोपाल।
2. संयुक्त संचालक संस्थागत वित्त विंध्याचल भवन भोपाल।
3. सहायक महाप्रबंधक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भोपाल।
4. सहायक महाप्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक होशंगाबाद रोड, भोपाल

आपके पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।

–सही–
प्रभारी प्रबंध संचालक

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक / बी–8–5 / 2016 / 14–2 / भोपाल, दिनांक 19 जुलाई, 2016

प्रति,

कलेक्टर
जिला .....समस्त

विषयः प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन अंतर्गत म.प्र. शासन परिपत्र क्रमांक बी–8–7 / 2016 / 14–2 / दिनांक 05.07.2016 निरस्त किए जाने विषयक।

संदर्भः 1. भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का पत्र क्रमांक 13015 / 01 / 2016– क्रेडिट ।।, दिनांक 01 जुलाई 2016
2. विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 05 जुलाई 2016

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ऋणी कृषकों का फसल बीमा अनिवार्य है। ऋणी किसानों के फसल बीमा हेतु भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक–1 के अनुक्रम में विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 05.07.2016 को विलोपित किया जाता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत संलग्न भारत सरकार का परिपत्र क्रमांक 13015 / 01 / 2016– क्रेडिट।। दिनांक 01 जुलाई 2016 का पालन किया जावे। उक्त संदर्भित पत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की Operational Guidelines अनुसार प्रीमियम जिले में फसलवार Scale of Finance (ऋणमान) अनुरूप ही रहेगा।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

–सही–
(जितेन्द्र सिंह परिहार)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

No. 13015/01/2016-Credit II
Government of India
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Deptt. of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated the 1st July, 2016

To,

1. Principal Secretary (Agri./Coop./Hort.)
   All States/UTs_____
2. Chief General Manager, RPCD, RBI, Mumbai.
3. Managing Director, NABARD, Mumbai
4. CMDs of all PSBs
5. CMDs/MDs of all empanelled Insurance Companies.
6. Executive Director, Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) Hyderabad- 500004

Subject: Operational Guidelines for implementation of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)/ Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS)- Modification to bring clarity on coverage of loanee farmers-reg

Sir,

I am directed to refer to the Operational Guidelines of PMFBY/WBCIS and to inform that provision in Para No. IX (1) Sl. No. 5 of the table) of the Operational Guidelines of PMFBY has been reviewed to provide more clarity to the stakeholders in the matter. The provision has accordingly been modified as under:

Para- IX- Seasonality Discipline
Sub Para- 1 (Sl. No.5 of Table) of PMFBY

Activity	Kharif	Rabi
"loanee farmers to be covered on compulsory basis who have got sanctioned standard loan for notified crops in notified area irrespective of date of sanction/ disbursement."	Upto las date of coverage/ enrolment of farmers.	Upto las date of coverage/enrolment of marmers.

Seasonality discipline mentioned in Para IX of WBCIS also stands modified accordingly.
This issues with the approval of competent authority.

Yours faithfully,
-Sd-
(Dr. Ashish Kumar Bhutani)
Joint Secretary of the Government of India

Copy

1. PPS to Finance Secretary, Ministry of Finance, North Block, New Delhi
2. PPS to Secretary, Department of Financial Services, New Delhi.

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित
प्रधान कार्यालयः
न्यू मार्केट, तात्या टोपे नगर,
पोस्ट बॉक्स नम्बर–315,
भोपाल (म.प्र.) पिन–462003
टेलीफोनः 0755–2674736
फैक्सः 0755–2674718, 2555684

सशक्त सहकारिता; समृद्ध मध्यप्रदेश
अपेक्स बैंक

M.P. Rajya Sahakari Bank Mydt.
Head Office:
New Market, Tatya Tope Nagar,
Post Box No. 315,
Bhopal (M.P.) Pin- 462 003
Tele: 0755-2674736
Fax N0. 0755-2674718, 2555684

क्रमांक म.प्र./मुख्या/बीमा/37/857 **दिनांक 08.07.2016**

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,
समस्त (मध्यप्रदेश)

विषयः प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत मौसम खरीफ 2016 हेतु जारी अधिसूचना अनुसार बीमा करवाते हुए बीमा प्रीमियम एवं जानकारी प्रेषित करने के संबंध में।

प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत खरीफ मौसम के लिए प्रीमियम काटकर भेजे जाने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2016 है। प्रदेश में अभी तक राशि रूपये 5629 करोड़ का ऋण वितरण हो चुका है लेकिन जिलों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत काटी गई प्रीमियम की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। आप इस तथ्य से अवगत है कि यदि समय पर प्रीमियम काटकर बीमा कंपनी को नहीं भेजी गई तो उसका दायित्व संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का होगा और क्लेम आने की स्थिति में उसका भुगतान का दायित्व भी संबंधित कर्मचारी का ही होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रगति की सतत् समीक्षा शासन स्तर पर की जा रही है। अतः संलग्न प्रारूपों में जानकारी प्रतिदिन मेल– insurance.apexbank@gmail.com पर भेजा जाना सुनिश्चित करें।

योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु इसे गंभीरता से लिया जावे जिससे किसी भी प्रकार की चूक होने पर आपका व्यक्तिगत दायित्व निर्धारण न हो।

संलग्न– प्रारूप एक, दो एवं तीन

–सही–
(प्रदीप नीखरा)
प्रभारी प्रबंध संचालक

क्रमांक मप्र/मुख्या/बीमा/37/857 अ दिनांक 08.07.2016

प्रतिलिपि–

1. संयुक्त आयुक्त, सहकारिता समस्त संभाग, मध्यप्रदेश
2. उपायुक्त/सहायक आयुक्त, सहकारी संस्थाएं समस्त जिले मध्यप्रदेश।
3. शाखा प्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, समस्त संभागीय शाखाएं मध्यप्रदेश

–सही–
प्रभारी प्रबंध संचालक

प्रारूप–1

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का नाम .....

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सम्बंधी जानकारी

क्रमांक	जिले का नाम	कुल तहसील संख्या	कुल पटवारी हल्का संख्या	फसलवार अधिसूचित पटवारी हल्को की जानकारी		गैर अधिसूचित पटवारी हल्का की संख्या
				फसल का नाम	पटवारी हल्का संख्या	

नोटः जिन फसलों के लिये तहसील अधिसूचित है उनकी जानकारी नोट मे दी जावे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी हस्ताक्षर
दिनांक

प्रारूप–2

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का नाम .....

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना– क्रियान्वयन प्रगति पत्र दिनांक .....

क्रमांक	अधिसूचित फसल का नाम	कृषक संख्या जिन्हे ऋण दिया गया	वितरित ऋण	आज दिनांक तक बीमित कृषक	बीमा प्रीमियम	बीमा कंपनी को प्रेषित बीमा प्रीमियम	
						राशि	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8

मुख्य कार्यपालन अधिकारी हस्ताक्षर
दिनांक

प्रारूप–3

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का नाम .....

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना– क्रियान्वयन प्रगति पत्रक दिनांक .....

क्रमांक	अधिसूचित फसल का नाम	कुल अऋणी बीमित कृषकों की संख्या	बीमा प्रीमियम	बीमा कंपनी को प्रेषित बीमा प्रीमियम	
				राशि	दिनांक
1	2	3	4	5	6

मुख्य कार्यपालन अधिकारी हस्ताक्षर
दिनांक

Agriculture Insurance Company of India Nodal Officer

Culster B,D,E

S.No.	Districts	Name of Nodal Officer	Mobile No.
1	Alirajpur	Mr. K.R. Ambhore	9993446240
2	Balaghat	Mr. B.S. Thakur	9425174581
3	Barwani	Mr. Vinay Thareja	9589586448
4	Betul	Mr. A.N. Roy	9893218469
5	Bhind	Mr. L.K. Ekka	9425631656
6	Bhopal	M.R. B.N. Naik	9893308307
7	Burhanpur	Mr. Mukesh Bansode	9424407641
8	Chhindwara	Mr. A.K. Rawat	9425173325
9	Dhar	Mr. Sunil Dwivedi	9425938555
10	Dindori	Mr. R.K. Ghosh	9424468389
11	Harda	Mr. Mukesh Bansode	9424407641
12	Hoshangabad	Mr. P.K. Tiwari	9425169784
13	Indore	Mr. D.K. Gupta	9755008408
14	Jabalpur	Mr. R.K. Ghosh	9424468389
15	Jhabua	Mr. L.N. Maheshwari	9425926083
16	Katni	Mr. V.K. Pahariya	9425387877
17	Khandwa	Mr. Mukesh Bansode	9424407641
18	Khargone	Mr. M.K. Jain	9827238451
19	Mandla	Mr. B.S. Thakur	9425174581
20	Morena	Mr. Y.V. Singh	9425349563
21	Narsinghpur	Mr. R.K. Ghosh	9424468389
22	Raisen	Mr. Anand Shrivastava	9425679879
23	Rajgarh	Mr. Arun Kewaliya	9685302644
24	Rewa	Mr. H.S. Joshi	9425123093
25	Satna	Mr. R.K. Khatri	9425601497
26	Sehore	Mr. C.K. Jain	9826086237
27	Seoni	Mr. B.S. Thakur	9425174581
28	Sheopur	Mr. Y.V. Singh	9425349563
29	Sidhi	Mr. H.S. Joshi	9425123093
30	Singroli	Mr. H.S. Joshi	9425123093
31	Vidhisha	Mr. M.K. Modi	9827091555

ICICI Lombard Jounral Insurance Company Ltd.
Culster A

S.No.	Districts	Name of Nodal Officer	Mobile No.
1	Ujjain	Mohd. Soofi	9981543388
2	Dewas	Mohd. Shanawaz	9758802175
3	Shajapur	Ravendra Kushwa	7389918115
4	Agar Malwa	Nitesh Sajwani	8291263689
5	Ratlam	Navdeep Saxena	9648935524
6	Mandsaur	Nishant Rao	7408205666
7	Neemuch	Rishi Joshi Rahul Kumar	8875007698 7549201488
8	Shahdol	Sudhir Mishra	9534024900
9	Umariya	Manish Dubey	7706038233
10	Annupur	Ramesh Joshi	7408432160

HDFC Argo Jounral Insurance Company
Culster C

S.No.	Districts	Name of Nodal Officer	Mobile No.
1	Sagar	Satish Sinoria Pandav Kumar Amit Sharma	7566665016 9546171642 9589436663
2	Damoh	Gaurav Tiwari Robin Kumar	7408392777 9570575666
3	Chattarpur	Prakash Bhargaw	7408392333
4	Tikamgarh	Ratnesh Singh	9039472847
5	Panna	Rajesh Jaiswal Vinay Kumar	7722996662 9755491944 9792880055
6	Gwalior	Natin Balya Ashutosh	9826461800 7408394333
7	Datia	Manish Pratap Singh Parmar	8720012011
8	Ashok Nagar	Rohit Jain Ranjeet	9893499110 7408396555
9	Shivpuri	Saurabh Tripathi	8795685777
10	Guna	Ramesh Singh	8406989444

Bhopal Regional Office

S.No.	Name	Designation	Mobile No.	Insurance Co.
1	Mr. Krishna Prasad	Regional Manager	9329220500	AIC of India
2	Mr. Umesh Soni	Regional Manager	9893473192	HDFC Argo
3	Mr. Suman Rai Chodhry	Regional Manager	9776644458	ICICI Lombard
4	Mr. Ravendra Kushwaha	Manager	7389918115	ICICI Lombard